लैंगिक समानता हेतु धर्मगुरुओं को एक साथ लाना

आस्था-आधारित हिमायत और हस्तक्षेप टूलकिट
लैंगिक असमानता, लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह हेतु

GLOBAL INTERFAITH WASH ALLIANCE

DIVINE SHAKT FOUNDATION

टूलकिट एक नजर में

विषय-सूची

प्रस्तावना	5
संकल्प	9
सेक्स और जेंडर क्या है?	11
लिंग असमानता	13
लिंग आधारित हिंसा	31
बाल विवाह	53
निष्कर्ष	67
संदर्भ	68
स्वीकृतियां	75

प्रस्तावना

लैंगिक असमानता, लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) और बाल विवाह ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिनका पूरे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं। इनके कारण मानवाधिकारों के हनन के साथ ही स्वतंत्रता और गरिमा रूपी मानवीय मूल मूल्य भी कमजोर होते हैं। इनका मूल कुछ भी हो परन्तु समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता के कारणों की जांच करने और उन्हें गहराई से समझने की जरूरत है। इन पूर्वाग्रहों और असमानताओं को दूर करने के लिए हमें पहले उन्हें पहचानना होगा और फिर उनमें परिवर्तन लाने व सुधार करने हेतु प्रयास करना होगा। वास्तव में यदि लैंगिक असमानता और लिंग आधारित हिंसा इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती रहेगी तो एक समावेशी और प्रगतिशील समाज की स्थापना नहीं की जा सकती।

इस टूलकिट को एक संदर्भ पुस्तक के रूप में विकसित किया गया है ताकि सामाजिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले इन महत्वपूर्ण विषयों पर धर्मगुरूओं का ध्यान आकर्षित किया जा सके तथा उन्हें सही व सार्थक संदेश प्रदान किये जाये जिसे वे अपने अनुयायियों और समुदायों के बीच प्रसारित कर सकें ताकि लैंगिक असमानता, लिंग–आधारित हिंसा और बाल विवाह आदि प्रथाओं में परिवर्तन हेतु वे एक सकारात्मक परिवर्तनकर्ता के रूप में कार्य कर सकें और सामाजिक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

इस टूलकिट का उद्देश्य लिंग आधारित असमानताओं के प्रति मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु सभी को प्रेरित करना है ताकि घर, समाज, राष्ट्र और पूरी दुनिया में सद्भाव और समावेशिता का वातावरण विकसित किया जा सके।

इस टूलकिट को इस दृढ़ संकल्प के साथ तैयार किया गया है कि हम लैंगिक समानता को अपने हृदय और मस्तिष्क से स्वीकृति प्रदान करें क्योंकि इसे न तो किसी पर थोपा जा सकता है और न ही विज्ञापित किया जा सकता है। समाज में प्रेरक स्थायी व्यवहार परिवर्तन केवल जागरूकता कार्यक्रमों, संचार अभियानों और आयोजन से ही संभव नहीं हो सकता बल्कि इसके लिये हमें समाज की दो सबसे मजबूत संस्थाओं – धर्मगुरूओं और परिवारों – के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करना होगा क्योंकि इसी माध्यम से पुराने सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को चुनौती दी जा सकती है तथा उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

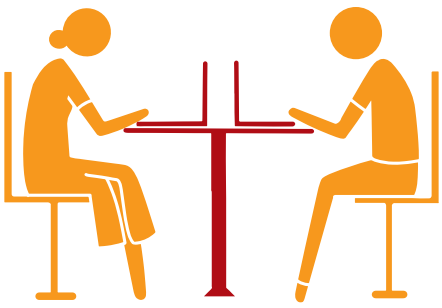

ऐतिहासिक रूप से आज भी राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आधारों पर भारतीय समाज धर्म से प्रभावित है। वैश्विक स्तर पर दुनिया के 84 प्रतिशत लोग धर्म और धार्मिक परंपराओं को मानते हैं तथा भारत में तो यह प्रतिशत कहीं अधिक है (पीईडब्ल्यू रिसर्च, 2020) इसलिए सामाजिक ताने–बाने और मानदंडों में परिवर्तन हेतु धर्म और धर्मगुरूओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। लैंगिक असमानता, बाल विवाह और लिंग–आधारित हिंसा आदि हानिकारक सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को समाप्त करने हेतु धर्म, धर्मगुरू और विद्वान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

हमारी धार्मिक परंपराओं की उपलब्ध जानकारी और प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं कि लैंगिक असमानताओं और भेदभाव के प्रतिरूप को परिवर्तित करने के लिए सही समय पर सही संदेश दिया जा सके।

इन परम्पराओं में बदलाव लाने हेतु धार्मिक ज्ञान, धर्मगुरूओं और धार्मिक समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए यह टूलकिट प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के मंत्रों, शिक्षाओं और कहानियों पर आधारित है ताकि धर्म–आधारित संदेशों के माध्यम से वास्तव में सशक्त और प्रभावशाली परिवर्तन किया जा सके। यह टूलकिट धर्म–आधारित उपदेशों से युक्त है और धर्मगुरूओं व प्रतिनिधियों को लैंगिक असमानता, लिंग–आधारित हिंसा और बाल विवाह को समाप्त करने हेतु अपने समुदायों के साथ संवाद को सशक्त बनाने में मदद करेगा।

इस टूलकिट की प्रेरणा इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि सभी धर्म समानता, करुणा और न्याय को बनाए रखते हुए सभी के साथ सह–अस्तित्व से जीवन जीने के संदेशों को बढ़ावा देते हैं। यदि इन सिद्धांतों को वास्तविक रूप से स्वीकार और लागू किया जाये, तो लैंगिक असमानता, लिंग–आधारित हिंसा और बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों में परिवर्तन लाया जा सकता है।

यह टूलकिट तीन प्रमुख विषयों पर आधारित है जिसमें प्रत्येक विषय की परिभाषा के साथ भारत में इन विषयों की स्थिति, इनका समाज में स्थायी होने के संभावित कारण, लड़कियों और महिलाओं पर इन हानिकारक प्रथाओं का पड़ने वाला प्रभाव और मौजूदा नकारात्मक प्रथाओं को बदलने के लिए प्रमुख संदेश और फिर अंत में श्लोक और मंत्रों की व्याख्या के साथ धार्मिक ग्रंथों के संदर्भों का उल्लेख किया गया है।

इस टूलकिट में बाल विवाह, लैंगिक असमानता और लिंग आधारित हिंसा जैसे विषयों पर धर्मग्रंथों के मंत्रों, छंदों, संदर्भों, कहानियों और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के उदाहरणों का प्रयोग सुव्यवस्थित और सरल रूप से किया गया है, जिनका उपयोग कर धर्मगुरू अपने संदेश व उपदेशों को इन विषयों पर सशक्त बनाने के लिए कर सकते हैं। इन संदेशों को अपने अनुयायियों और अपने प्रभाव क्षेत्र में साझा कर सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है।

इस टूलकिट को विभिन्न धर्मगुरूओं, बुद्धिजीवियों और धार्मिक शास्त्रों पर शोध करने वाले विद्वानों के उदार योगदान के साथ संकलित किया गया है और हमारा विश्वास है कि यह सभी के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। हम इन योगदानकर्ताओं द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देते हैं।

यह टूलकिट (संसाधन पुस्तक) संपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे समाज में लैंगिक समानता लाने, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की स्थापना करने हेतु नींव के रूप में सिद्ध होगा। इस प्रथम संस्करण में चार धर्म – हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म – की धार्मिक परंपराओं को उल्लेखित किया गया है।

हमने इस टूलकिट को संवाद की सुविधा के लिए व इन प्रमुख विषयों के आसपास कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए बनाया (डिजाइन) है, इसलिए हम सभी के फीडबैक, विचारों, सुझावों का स्वागत करते हैं और उन सुझावों को हमारे साथ ईमेल पर ganga@washalliance.org साझा करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं।

इस टूलकिट का उद्देश्य धार्मिक नेताओं के उद्‌बोधनों को सशक्त बनाना है

- लैंगिक असमानता, लिंग–आधारित हिंसा और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर धर्मगुरूओं और धार्मिक संगठनों की समझ को व्यापकता प्रदान करना।
- हानिकारक सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को बदलने हेतु सकारात्मक संदेश समुदायों में प्रसारित करने के लिये प्रदान करना।
- प्राचीन शास्त्रों व धर्मग्रन्थों से धार्मिक संदर्भ प्रदान करना जो इन हानिकारक सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं की निंदा करते हैं।

संकल्प

संकल्प, परिवर्तन के लिये प्रेरित करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है और जनसमुदाय के मस्तिष्क और हृदय में व्यवहार परिवर्तन के बीज रोपित करने का एक शक्तिशाली अवसर प्रदान करता है। संकल्प करते समय, अनुयायियों और दर्शकों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकजुटता के साथ हाथों को उठाने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित करें। ऐसा करने पर उनमें विस्तार और सशक्तता की भावना जागृत होगी। आदर्श रूप से, संकल्पकर्ताओं को संकल्प के प्रत्येक खंड को एक साथ दोहराने के लिए कहा जाये तथा इस संकल्प को छोटे–छोटे टुकडों में पढ़ा जाना चाहिए।

इस संकल्प को अपने उद्‌बोधनों व धर्मोपदेश में शामिल किया जा सकता है, आदर्श रूप से उद्‌बोधन के अंत में लैंगिक समानता और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए यह संकल्प कराया जा सकता है। हम आपके अनुयायियों को इस विषय और मुद्दों से जोड़ने के लिए टूलकिट में उल्लेखित व प्रस्तुत कुछ तथ्यों और आंकड़ों के साथ–साथ शास्त्रों के संदर्भों व कहानियों का उपयोग करने का भी निवेदन करते हैं।

> *"मैं लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को रोकने की प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं। मैं उन सभी प्रथाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूँ जो उनके अधिकारों और प्रगति की प्राप्ति में बाधक बनकर आती हैं।"*

संकल्प कराते समय कृपया इन संकल्पों के लघु वीडियो, कुछ तस्वीरों और अपनी कहानियों को हमारे साथ साझा करें कि कैसे इन संकल्प के माध्यम से आप दुनिया में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, वह परिवर्तन आप अपने समुदाय में देख रहे हैं तथा दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आप उन्हें ganga@washalliance.org पर ईमेल कर सकते हैं।

सेक्स और जेंडर क्या है?

लिंग (सेक्स) एक जैविक शब्द है जो व्यक्ति की आनुवंशिक और शारीरिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ यह बताना है कि कोई पुरुष या महिला है। लिंग किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना को संदर्भित करता है, जैसा कि उसके आनुवंशिक संरचना द्वारा निर्धारित किया गया है। उपरोक्त परिभाषा में इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है कि पुरूषों और महिलाओं को कैसे व्यवहार या कार्य करना चाहिये।

लिंग को सामाजिक रूप व व्यवहार के आधार पर पुरुषों और महिलाओं से जुड़ी अपेक्षाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। जबकि पुरुषत्व और स्त्रीत्व जैविक तथ्य हैं तथा पुरुषत्व और स्त्रीत्व सांस्कृतिक रूप से निर्मित विशेषताएं भी हैं। जैसे–जैसे संस्कृति बदलती है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व से जुड़े गुण अलग–अलग होते हैं या घटते–बढ़ते रहते हैं।

आमतौर पर, हम किसी भी नवजात शिशु को उसके जननांगों के आधार पर नर या नारी के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। किसी भी व्यक्ति का लिंग तीन आयामों – शरीर, पहचान और सामाजिक लिंग के बीच का जटिल अंतर्संबंध – के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

शरीरः यह हमारे शरीर को संदर्भित करता है, हमारे अपने शरीर के बारे में हमारा अनुभव, कैसे समाज शरीरों को लिंग में विभक्त करता है तथा हमारे शरीर के आधार पर ही दूसरे हमारे साथ बातचीत व व्यवहार करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमारे शरीर में जननांगों के दो रूपों में से एक रूप होता है, जिसे 'महिला' या 'पुरुष' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पहचानः यह उसे संदर्भित करता है जिसका उपयोग हम अपने लिंग को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जो कि स्वयं की आंतरिक भावना के आधार पर हमारे साथ गहराई से जुड़ा हुआ होता है। पहचान आमतौर पर बाइनरी (जैसे पुरुष, महिला), गैर–बाइनरी (जैसे, लिंगक्वीर, लिंगफ्लुइड, आदि) या गैर–जेंडर (जैसे, लिंग, लिंग रहित) श्रेणियों में आती है। किसी व्यक्ति के लिंग की पहचान उसके जन्म के समय निर्धारित किए गए लिंग के अनुरूप या उससे अलग हो सकती है।

सामाजिक लिंगः यह संदर्भित करता है कि हम अपने लिंग को दुनिया में कैसे प्रस्तुत करते हैं और कैसे व्यक्ति, समाज, संस्कृति और समुदाय हमारे लिंग को देखते हैं, हमारे साथ बातचीत व व्यवहार करते हैं और इसे आकार देने का प्रयास करते हैं। सामाजिक लिंग में लैंगिक भूमिकाएं और अपेक्षाएं

शामिल हैं और यह भी कि समाज उनका उपयोग वर्तमान लैंगिक मानदंडों के अनुपालन को बनाये रखने के लिए कैसे करता है। इनमें से प्रत्येक आयाम संभावनाओं की इस श्रृंखला से काफी भिन्न हो सकता है और दूसरों से अलग भी, लेकिन परस्पर संबंधित भी हो सकता है।

लिंग और जेंडर में अंतर

उपरोक्त पैराग्राफ में लिंग और जेंडर के बीच अंतर स्पष्ट हैं। आइए हम उन्हें निम्नलिखित तरीके से समझें:

लिंग	जेंडर
जैविक निर्माण	सामाजिक – सांस्कृतिक निर्माण
प्राकृतिक रूप से निर्मित	सामाजिक रूप से निर्मित
सतत्	परिवर्तनीय
व्यक्तिगत	प्रणालीगत
गैर श्रेणीबद्ध	श्रेणीबद्ध
परिवर्तित नहीं किया जा सकता	एक अवधि के बाद परिवर्तन किया जा सकता है

लिंग असमानता

लैंगिक असमानता क्या है?

लैंगिक असमानता, असमानता के सबसे पुराने स्वरूपों में से एक है, जो लिंग या लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव को दर्शाता है, अर्थात् किसी एक लिंग को लगातार विशेषाधिकार या प्राथमिकता दी जाती है और दूसरे को नहीं दी जाती। असमानता से तात्पर्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण शक्ति का असंतुलन होता है जो कि सीखने और नेतृत्व करने के अवसरों को सीमित करता है। लैंगिक असमानता से तात्पर्य बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन से भी है। यह व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने व उसके अधिकार से वंचित करता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और सभी व्यक्तियों को कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। हालाँकि, समाज और घर दोनों स्तरों पर लैंगिक असमानताएं अभी भी व्याप्त हैं, इसका प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड भी है।

जन्म के समय से ही लड़कियों के साथ उनके घरों, स्कूलों और समुदायों में असमानता का व्यवहार होते देखा जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें आजीवन असमानता के अलग–अलग रूपों, संसाधनों और अवसरों का सामना भी करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अक्सर लड़कों को स्कूल जाने और आजीविका के लिए तैयार करने हेतु उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों पर घर की जिम्मेदारियों की संभावनायें अधिक होती हैं, जिसके कारण अक्सर उन्हें स्कूल और शिक्षा से दूर भी रखा जाता हैं। इसका महिलाओं और लड़कियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं और इससे लिंग आधारित हिंसा और अन्य हानिकारक प्रथाओं को भी बढ़ावा मिलता है।

लैंगिक असमानता और हमारा भविष्य

भारत में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं को उनके घरों, कार्यस्थलों और समाज में समानता दिलवाने के लिये एक व्यावहारिक बदलाव लाने की जरूरत है।

लड़कियां और महिलाएं दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, और इस कारण से लैंगिक भेदभाव का समाज पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भेदभाव को समाप्त करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना मानवाधिकारों का विषय भी है।

आध्यात्मिक गुरू और विख्यात मानवतावादी चिंतक स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत खूबसूरती से साझा किया कि 'किसी राष्ट्र की प्रगति का सबसे अच्छा पैमाना वहां की महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार से है। वह यह भी खूबसूरती से कहते हैं, 'जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता'।

भारत में लैंगिक असमानता की प्रवृतियां और स्थिति

आइए हम नवीनतम आंकड़ों के आधार पर भारत में लैंगिक असमानता की प्रवृतियों, संकेतकों और स्थिति को देखें:

जन्म के समय लिंग अनुपात

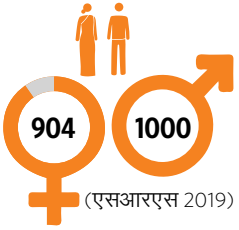

(एसआरएस 2019)

साक्षरता दर प्रतिशत

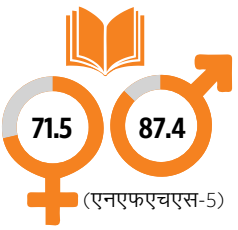

(एनएफएचएस-5)

माध्यमिक शिक्षा में नामांकित किशोरों का प्रतिशत

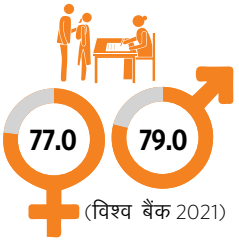

(विश्व बैंक 2021)

कार्यबल भागीदारी दर

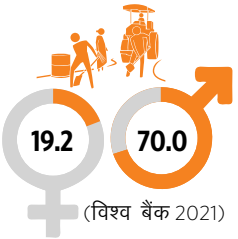

(विश्व बैंक 2021)

15–49 आयु वर्ग का प्रतिशत जो एनीमिक हैं

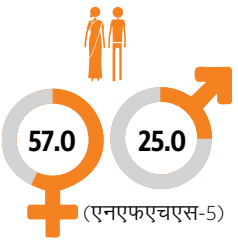

(एनएफएचएस-5)

जीवन काल में पति–पत्नी में हिंसा का अनुभव करने वालों का प्रतिशत

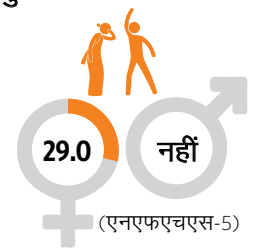

(एनएफएचएस-5)

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी **ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022** के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कुल 146 देशों में से 135वें स्थान पर है।

लैंगिक असमानता को बढ़ाने वाले संभावित कारक और कारण

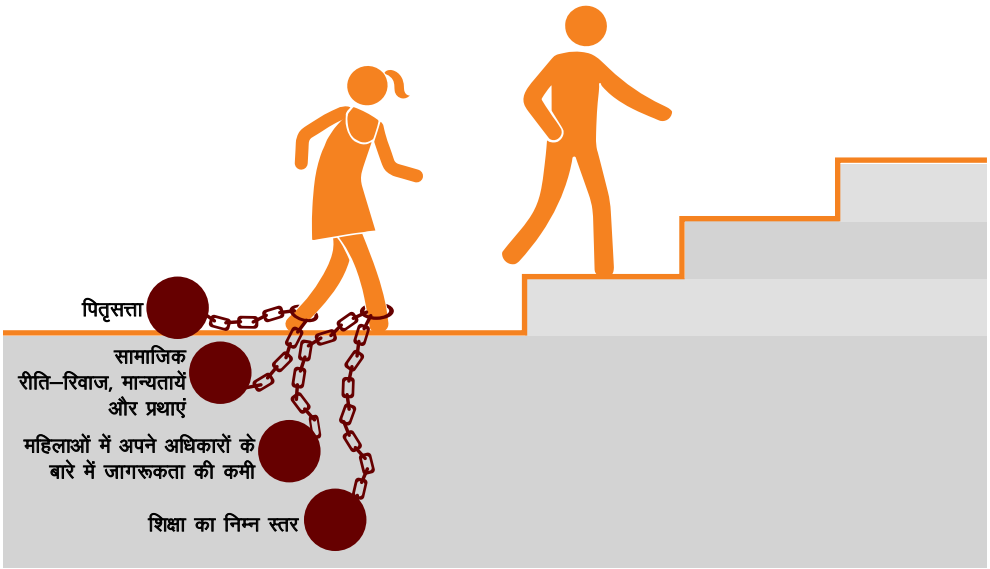

लैंगिक असमानता के परिणाम

लैंगिक असमानता का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसके कारण समाज में विभिन्न नकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं। वास्तव में केवल महिलाएं ही लैंगिक असमानता से प्रभावित नहीं होती बल्कि पूरा परिवार, समाज और सभी आयु वर्ग के लोगों पर भी इसके नकारात्मक प्रभावों को देखा जा सकता हैं:

चितंन के प्रमुख बिंदु

हम व्यक्तिगत, परिवार और समाजिक स्तर पर लैंगिक असमानता के प्रतिकूल प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसलिये अब यह चितंन करने का समय है कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हममें से प्रत्येक को क्या भूमिका निभानी है और इसके लिये हम कितने प्रतिबद्ध हैं? हमारे देश में जहां 90 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी धर्म या आस्था का पालन करते हैं, आस्था–आधारित संगठन और धर्मगुरू सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को आकार देने या बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, पुरुषों और लड़कों में पुरूषत्व को लेकर सकारात्मक चितंन लाने और एक लैंगिक संतुलित समाज के निर्माण हेतु आप अपनी नियमित गतिविधियों के माध्यम से क्या कदम उठा सकते हैं?

लैंगिक असमानता को सीमित करने और सभी के बीच सम्मान और समझ बढ़ाने के लिए आप अपने धर्म–आधारित संगठनों और समुदायों में क्या परिवर्तन कर सकते हैं? इस हेतु कुछ संदेश है जिन्हें आपके माध्यम से समुदायों में प्रसारित किया जा सकता है।

.....

.....

प्रमुख सन्देश

- लैंगिक भेदभाव अर्थात मानवाधिकारों का उल्लंघन।
- हमें सभी व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और स्वतंत्रता के समान अवसर प्रदान करना चाहिए।
- बेटों और बेटियों दोनों को पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए।
- सशक्त महिलाएं जिनका उनके घरों और समाज में सम्मान होता है, एक समान और समतामूलक समाज का निर्माण करती हैं।
- लैंगिक समानता विकास को आगे बढ़ाने और गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक है।

नीचे दिए गए खंडों में कुछ प्रमुख धार्मिक छंदों और कहानियों को साझा किया गया हैं, जो लैंगिक असमानता, लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह का खंडन करते हैं। यह संदेश धर्मगुरू अपने समुदायों में प्रसारित और प्रचारित कर सकते हैं।

लैंगिक समानता पर शास्त्रीय संदर्भ

भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में महानता हासिल की है, जिनमें मीरा बाई, गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, अपाला, माता नानकी, माता साहिब कौर, माता खीवी, माई भागो, माता गुजरी जी, महाप्रजापति गौतमी, आम्रपाली, चंदना, जैसी विभूतियां और दार्शनिक शामिल हैं। रेवती, झाँसी की रानी और रानी रुद्रमा देवी जैसे योद्धा, माता सीता, सावित्री और द्रौपदी ने भारतीय नारियों को गौरवान्वित किया है और उच्च स्थान प्राप्त किया है।

हिन्दू धर्म

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।। 28।।

— भगवद गीता 13.28 ॥

अर्थातः जो परमात्मा को सभी जीवों में आत्मा के रूप में देखता है और जो इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है, केवल यही वास्तविकता है।

व्याख्याः यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए, चाहे उनका लिंग, जाति, रंग या पंथ अलग–अलग हो, हमें उन सभी में ईश्वरीय चेतना की उपस्थिति का सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म में मनुष्य के अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर की व्याख्या की गयी है कि वह आत्मा है परन्तु लिंग को अनुमानित द्वंद्व के रूप में देखा गया है जिसका ब्रह्म की वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। लिंग शरीर का होता है, आत्मा का नहीं, और हमारे सभी शास्त्र हमारी पहचान शरीर के रूप में नहीं करते – वे आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक प्रकृति का एहसास करने का संदेश देते हैं।

इसे दूसरे तरीके से समझाने के लिए, रूप या शरीर के स्तर पर हम एक विशिष्ट लिंग (आमतौर पर या तो हमारे भौतिक शरीर के आधार पर) की पहचान करते हैं, जो समाजिक स्तर पर विशेष भूमिकाओं को पूरा करने का कार्य करता है जो हमारी सामाजिक लिंग भूमिका है।

हालाँकि, अस्तित्व के सूक्ष्म स्तर पर, जिसे 'सूक्ष्म शरीर' के रूप में जाना जाता है, हम अपने मन, अपने अहंकार (*अहं*) और बुद्धि (*बुद्धि*) के स्तर पर विचार करते हैं, जिन्हें प्रकृति (*प्रकृति*) के तत्त्व (उच्चतम वास्तविकता) कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर के इस स्तर पर भौतिक शरीर के स्तर की तुलना में बहुत कम अंतर होता है। फिर, और भी गहराई में जाकर, एक हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा स्तर, शुद्ध

चेतना और ब्रह्म का स्तर, जो केवल आत्मा है। उस स्तर पर ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है, जिसमें कोई भेद नहीं है।

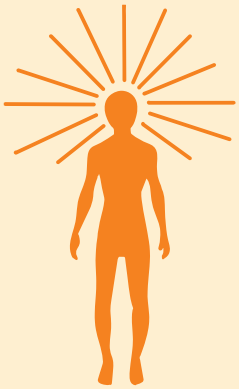

इस श्लोक में भगवद गीता के माध्यम से प्रतिपादित वैदिक दर्शन इस परम सत्य का संदेश देता है। इसे सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी अन्य धार्मिक परंपराओं में भी देखा जा सकता है। जब हम समानता की बात करते हैं तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को लिंग के बिना समझना महत्वपूर्ण है। असमानता केवल तभी मौजूद होती है जब हम आत्मा के सबसे गहरे स्तर की जागरूकता के बिना केवल बाहरी स्वरूप को देखते हैं लेकिन जब हम अपनी अंतर्निहित एकता के व्यापक रूप को देखते हैं तो द्वैत रूप में समानता दिखायी देती है, तब कोई एक हीन या श्रेष्ठ नहीं बल्कि सभी एक दूसरे के बराबर है लेकिन विभिन्न अभिव्यक्तियों, विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक दिव्य रचना के हिस्से के रूप में जो सामाजिक ताने–बाने को बनाए रखते हैं और उसका पोषण करते हैं।

शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।
अतस्त्वाम् आराध्यां हरि–हर विरिन्चादिभि रपि
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथ–मक्रत पुण्यः प्रभवति।।

– सौन्दर्य लहरी श्लोक 1 (*अद्वैत वेदांत*)

अर्थातः आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित सौंदर्यलहरी की इस प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि "शक्ति के बिना शिव, शव है। अर्थात शिव व शक्ति जुड़कर ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं। परम चेतना को सामर्थ्य और गति देने वाली यह "शक्ति" भारतीय दर्शन में स्त्री–तत्व का सबसे खूबसूरत प्रतीक है।

व्याख्याः हिंदू धर्म में प्रमुखतः शिव और शक्ति का द्वैत स्वरूप जैसा कि भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा नारी के रूप में अर्धनारीश्वर का चित्रण किया गया है। यह समानता का एक सुंदर अवतार है कि दिव्य पुरूष और दिव्य नारी दोनों ही सभी में मौजूद हैं। शिव और शक्ति मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, दोनों में से किसी एक के बिना सृष्टि का निर्माण सम्भव नहीं है।।

एक आम कहावत है कि शक्ति के बिना शिव शव (लाश) के समान हैं, जिसका अर्थ है कि सृष्टि तभी चेतन और जागृत है जब शिव–शक्ति एक साथ हों। वे एक दूसरे के पूरक हैं तथा पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति की ये ऊर्जाएं सभी में अंतर्निहित हैं अर्थात समाहित है।

व्याकरोमि हविषाहमेतौ तौ ब्रह्मणा व्य हं कल्पयामि।
स्वधां पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा समिमान्त्सृजामि।।

– अथर्ववेद 12.2.32

अर्थातः परमेश्वर ने स्त्री–पुरुषों को समान अधिकार देकर वेदज्ञान से समर्थ बनाया और परोपकारी विद्वान् जनों को आत्मबल देकर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया।

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसँशिते
गच्छामित्रान्प्र पद्यस्व मामीषाङ्कं चनोच्छिषः।।

– यजुर्वेद 17.45

भावार्थः सभापति आदि को चाहिये कि जैसे युद्धविद्या से पुरुषों को शिक्षित किया जाता है, वैसे स्त्रियों को भी शिक्षित करें। जैसे पुरुष युद्ध में सहभाग करते हैं, वैसे नारी शक्ति भी युद्ध में पूर्ण सहयोग प्रदान करें । इस आधार पर दोनों समान है। अर्थात स्त्रियों को भी सेना और युद्ध में पुरुषों के साथ समान रूप से सहभाग करने का अधिकार है।

व्याख्याः वैदिक काल में भारतीय समाज में नारियों की स्थिति मजबूत थी। वे कोई भी क्षेत्र या सीमाओं में बंधी हुई नहीं थी – वे अध्ययन कर सकती थीं, पढ़ा सकती थीं और युद्ध के मैदान में भी जा सकती थीं। उदाहरण के लिए, अयोध्या की रानी कैकेयी महाराजा दशरथ के साथ युद्ध करने गई थीं और एक युद्ध में तो उन्होंने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा भी की थी।

उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी। अदेवत्रादराधसः।।

– ऋग्वेद 5.61.6

अर्थातः हे पुरूष, स्त्री आपके सम्मान, आदर और प्रेम की पात्र है क्योंकि वह घर और बाहर दोनों स्थानों में योगदानकर्ता है।

व्याख्याः यह मंत्र महिलाओं और पुरूषों को एक दूसरे का आदर और सम्मान करने का संदेश देता है ।। 6।।

अहं केतुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचंनी

ऋग्वेद 5.61.2

अर्थातः मैं नेता हूँ, मैं अग्रणी, विद्वान हूँ, मैं एक उत्कृष्ट वक्ता हूँ।

व्याख्याः वेदों में ऐसे कई श्लोक हैं जो महिलाओं की सशक्त भूमिका और समाज में उनके नेतृत्व की व्याख्या करते हैं और विभिन्न माध्यमों से उनके योगदान को युद्ध के मैदान में, घर में, या शिक्षा या अन्य स्थानों पर उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया हैं।

वैदिक युग में लैंगिक समानता

वैदिक काल के ग्रंथों से पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं कि सद्ज्ञान और शिक्षा तक पहुंच, जानने, समझने की क्षमता के मामले में नारियां पूरी तरह से पुरुषों के बराबर थीं। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों, श्लोकों और भजनों की रचना विश्वारा, अपाला, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, इंद्राणी और साची द्वारा की गई है। हिंदू धर्म में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसरों के अनेक प्रमाण मिलते है।

बृहदारण्यक उपनिषद विदुषि गार्गी जो कि एक ब्रह्मवादिनी थी (ब्रह्म विद्या का ज्ञान रखने वाली नारी) का उदाहरण देता है, जिन्होंने ऋग्वेद में कई मंत्रों और भजनों की रचना की, जिन्हें मिथिला के राजा के दरबार में नवरत्नों (नौ रत्नों) में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य को राजा जनक के दरबार में विद्वानों के समक्ष शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। वह आठ विद्वानों ऋषियों के मध्य इकलौती नारी थी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने का साहस किया था। याज्ञवल्क्य ने गार्गी को आगे न बढ़ने के लिए कहकर शास्त्रार्थ को समाप्त कर दिया था। गार्गी अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक थी।

सिख धर्म

ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਲੋਇ ॥

नारी पुरख सबाई लोइ।।

– गुरु ग्रंथ साहिब – 223

अर्थात: गुरु नानक जी ने घोषणा की कि एक ही दिव्य सार पुरुषों और महिलाओं दोनों में व्याप्त है। इस आधार पर दोनों ही समान है।

ਸਭਿ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਵੈ ਪਿਆਰਾ ਵਿਚਿ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਭੁ ਸੋਇ ॥

सभि घट आपे भोगवै पिआरा विचि नारी पुरख सभु सोइ।।

– गुरु ग्रंथ साहिब जी – 605

अर्थात: भगवान सभी पुरुषों और महिलाओं में व्यापक है। एक ज्योति से ही समस्त ब्रह्माण्ड का उदय हुआ इसलिये कोई छोटा और बड़ा नहीं है।

ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥
ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥

– गुरु ग्रंथ साहिब जी – 473

अर्थात: स्त्री के गर्भ से ही पुरुषों का भी जन्म होता है, स्त्री से ही बेटा और बेटी दोनों का जन्म होता है, स्त्री से ही पुरूष की सगाई और विवाह होता है, स्त्री से पुरूष मित्रता का अनुबंध करता है। अत: स्त्री की निंदा क्यों करें, जिससे राजा भी पैदा होते हैं? स्त्री के बिना पुरूष और नारी का जन्म नहीं हो सकता। हे नानक, अकेले भगवान बिना स्त्री के हैं।

व्याख्या: गुरु नानक देव जी ने कहा है, 'तो किउ मंडा अखिए जीत जममे राजन, भांडो हे भांड उपजाय भांडा बजा ना कोय' अर्थात – तो उसे बुरा क्यों कहते हैं? उसी से राजा उत्पन्न होते हैं। स्त्रियों से ही स्त्रियां पैदा होती हैं, महिलाओं के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भले ही यह पंक्तियां महिलाओं की बच्चों को जन्म देने की क्षमता की ओर इशारा करता है, लेकिन उस समय के संदर्भ में जहां महिलाओं को गंभीर रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उस समय उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, तब यह सभी महिलाओं के अधिकारों

और सम्मान के लिए गुरु नानक जी की एक साहसिक पहल थी। इस तरह, गुरु नानक देव ने महिलाओं के प्रति हीनता की इस मानव निर्मित धारणा की निंदा की थी।

सिख गुरुओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना कि जहां सभी समान है, जैसा कि 'एक ओंकार' का मंत्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। सिख गुरुओं ने लिंग, जाति, धर्म या किसी अन्य सामाजिक प्रथा के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया ताकि जनसमुदाय के मध्य विभाजन पैदा न किया जा सके। समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी उसके उत्थान हेतु गुरु गोबिंद सिंह जी ने सभी सिख महिलाओं को उपनाम 'कौर' और सिख पुरुषों को उपनाम 'सिंह' रखने का आह्वान किया।

गुरु नानक देव जी और उनके उत्तराधिकारी सिख गुरुओं ने पूजा (पवित्र स्थान), सामाजिक और युद्ध के मैदान में महिलाओं की भागीदारी को समान रूप से प्रोत्साहित किया। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया और महिलाओं को श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने सहित सभी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा पर रोक लगाई और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया (खालसा, 2019)।

गुरु अंगद देव (1504–1552), जो दूसरे गुरु थे, उन्होंने सभी महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत और समर्थन किया। गुरु अमर दास (1479–1574) जो तीसरे गुरु थे उन्होंने सती प्रथा, पर्दा (चेहरा ढंकना) और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने हेतु कार्य किया तथा दसवें गुरु, गोबिंद सिंह जी (1666–1708) के समय में सिख मिशनरी में 40 प्रतिशत महिलाएं थीं और कई नेतृत्व और शक्ति प्रबंधन के प्रमुख पदों पर भी आसीन थीं (कौर, 2022)। सिख गुरुओं ने एक प्रगतिशील और समतावादी समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभायी। उन्होंने पुरुष और महिलाओं की लैंगिक भूमिकाओं को परिभाषित न करते हुये उनके साथ समान व्यवहार किया।

सिख गुरुओं द्वारा प्रतिपादित समानता की अवधारणा के प्रभाव को देखते हुए, सिख इतिहास साहसी सिख महिलाओं की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने लैंगिक रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को तोड़ा।

माई भागो (माता भाग कौर): लैंगिक परम्पराओं (मानदंडों) को तोड़ना और लैंगिक समानता के क्षेत्र में एक साहसी उदाहरण

खिदराना की लड़ाई की एक मात्र उत्तरजीवी, जिसे 'मुक्तसर की लड़ाई' (29 दिसंबर 1705) के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सिखों के लिए बहुत गर्व और साहस का अद्वितिय उदाहरण थी वह माई भागो (माता भाग कौर) है। वह युद्ध के मैदान में युद्ध करने वाली पहली महिला हैं। वह झाबल कलां गांव की रहने वाली थीं। जब 40 सिखों की खालसा सेना गंभीर रूप से घायल हो गई थी और वे बस पीछे हटने ही वाले थे तब उन्होंने पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा युद्ध में पहनने वाली पोशाक पहनी और उन्हें भी वापस युद्ध में ले गई। बाल्यावस्था में उन्होंने अपने पिता से पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट सीखने के बाद सिख सेना के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लड़ाई में 250 खालसा योद्धा बनाम 20,000 मुगल योद्धा शामिल थे, उस लड़ाई में वे एकमात्र जीवित सिख बची थीं और लड़ाई में 4000 मुगल मारे गए थे। बाद में उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के अंगरक्षक के रूप में सेवा की (गिल 1995)।

बौद्ध धर्म

प्राचीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह एक मौलिक धारणा है कि सभी पुरुष और महिलायें उनकी जाति, मूल या स्थिति के आधार पर बिना भेदभाव के समान आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्वाण की अंतिम स्थिति तक पहुंच सकते हैं (हलकियास 2013, पृष्ठ 494)।

'ये केचि पाना भुतत्ति,
तसव तवर वा अनावसेसा,
दीघ व ये महंत वा,
मज्जिमा रसकानुका तुला'

– करनिया मेट्टा सुत्त श्लोक 4

अर्थातः दृश्य हो या अदृश्य हो, दूर हो या निकट रहने वाले हो, जन्म लेने वाले हो और जन्म देने वाले हो, सभी प्राणी समान है और सभी सुखी हों।

'दित्थ व येव अदित्था,
ये च दुरे वासन्ति अवुदुरे,
भूत व सम्भावेसी वा,
सब्बे सत्त भवन्तु सुखी तत्ता'

– करनिया मेट्टा सुत्त श्लोक 5

अर्थातः कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सभी समान है इसलिये सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये।

न परो परम निकुब्बेथा,
नति मन्नेथा कत्थचि नाम कंची,
ब्यारो सना पतिघा सन्ना,
नन्ना मन्नस्सा दुक्ख मिचेय्या

– करनिया मेट्टा सुत्त श्लोक 6

अर्थातः क्रोध और दुर्भावना से किसी को धोखा न दें और न ही किसी का तिरस्कार करें, कहीं भी और कभी भी किसी का अहित न करें।

'माता यथा नियम पुत्तम,
आयुष एकपुत्त मनुराक्खे,
इवाम्पी सब्बा भूतेषु,
मनसम भवये अपरिमानम'

– करनिया मेट्टा सुत्त श्लोक 7

अर्थातः जिस प्रकार एक माँ अपने इकलौते बच्चे के प्राणों की रक्षा करती है, उसी प्रकार हम सभी को सभी जीवों व प्राणियों के प्रति प्रेममयी व दयामयी दृष्टि और असीम कृपा बनाये रखनी चाहिये।

'मेत्तन च सब्बा लोकस्मिम्
मनसम भवये अपरिमानम,
ऊधम अधो च तिरियां च,
असम्बधम एवेरं असपत्तम'

– करनिया मेट्टा सुत्त श्लोक 8 (खुड्डकपथ 9)

अर्थातः हमें समस्त विश्व के प्रति, ऊपर, नीचे और चारों दिशाओं में बिना भेदभाव के, द्वेष व शत्रुता से रहित, असीम प्रेममयी विचारों का विकास करना चाहिये।

व्याख्याः बौद्ध धर्म यह प्रतिपादित करता है कि सभी समान हैं और सभी प्रेमपूर्ण करूणा का अभ्यास करने हेतु समान रूप से सक्षम हैं। उनकी शिक्षाएं और संदेशों के अनुसार हर कोई, चाहे वह किसी भी लिंग या सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, जाति, रंग या पंथ का हो, ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है। उनका संदेश है कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते है, उन्हें भी नुकसान होता है। जो महिलाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं या उनके साथ असामान्य व्यवहार करते हैं, उनका भी किसी न किसी रूप में अहित ही होगा।

संयुक्त निकाय 3.16 में (सुत्त पिटक का तीसरा संग्रह तिपिटक), राजा कौशल अपनी पुत्री मल्लिका के जन्म को लेकर व्यथित थे।

तब भगवान बुद्ध ने उत्तर दियाः
परेशान मत हो राजा,
कन्या सिद्ध हो सकती है
नर से भी उत्तम सन्तान है,
क्योंकि वह बुद्धिमान और गुणी हो सकती है
(पुंटारिग्विवाट 2001, 214)।

अर्थातः भगवान बुद्ध के समय में लैंगिक समानता का मार्ग सामान्य दिखायी देता है। एक बालक के बजाय एक बालिका के जन्म के प्रति भगवान बुद्ध की प्रतिक्रिया लैंगिक समानता के समर्थन में दिखायी देती हैं।

स्वतंत्र महिला (देवी) को एक बौद्ध देवता के रूप में देखना 'हालांकि, अपेक्षाकृत दुर्लभ है परन्तु नारी न केवल अपने स्वरूप से ही अत्यंत सुन्दर होती है बल्कि वह आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी अपने समकक्ष पुरूषों के बराबर होती हैः तारा (मैकआर्थर, 2019)।" तिब्बती बौद्ध, देवी को ज्ञान के अवतार के रूप में मानते हैं, प्रत्येक मनुष्य अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों में समान सिद्धांत होते हैं, अतः समानता निहित है। महिला बुद्ध साधक को दयालु और करूणायुक्त माता के रूप में स्वीकारा गया है।

महाप्रजापति गोतमी या प्रजापति – जिन्होंने प्रथम भिक्खुनी संघ की नींव रखी

महाप्रजापति गोतमी ने भगवान बुद्ध का पालन–पोषण किया था। वे उनकी सौतेली माँ और मौसी (माँ की बहन) थीं। जब महाप्रजापति का जन्म हुआ, तो एक ज्योतिषी ने उनके नेतृत्व गुणों की भविष्यवाणी की और उनका नाम प्रजापति (पाली, प्रजापति) रखा गया, अर्थात 'एक बड़ी सभा का प्रमुख। महाप्रजापति को भिक्षुणी संघ (बौद्ध नन) की अग्रज माना जाता है।

परंपरा के अनुसार, उन्होंने तीन बार भगवान बुद्ध से संघ में शामिल होने की अनुमति मांगी, लेकिन हर बार मना कर दिया गया। अंत में, उन्होंने अपना मुंडन करवाया (बाल कटवाए), त्यागी का वेश धारण किया, और पाँच सौ शाक्य कुलीन महिलाओं के साथ वैशाली चली गई। जहाँ उन्होंने एक बार फिर संघ में प्रवेश हेतु अनुमति मांगी। इस बार, जब आनंद ने महाप्रजापति की ओर से भगवान बुद्ध से बात की तो उन्होंने कहा कि महिलाएं वास्तव में धर्म के फल (यानी मुक्ति) प्राप्त करने के योग्य हैं, और फिर महाप्रजापति के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

अपने समय में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में, महाप्रजापति नेतृत्वकर्ता और आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाली एक सक्षम नारी के रूप में एक श्रेष्ठ उदाहरण बन गईं, और तब से उनकी उपलब्धियों ने अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया है (मल्होत्रा, 2020)।

जैन धर्म

तीर्थंकर महावीर स्वामी (599 ईसा पूर्व) के समय से ही जैन परंपरा में महिलाओं को 'चतुर्विध संघ' के हिस्से के रूप में शामिल किया था, अर्थात् श्राविकायें और साध्वियाँ उनके पुरुष समकक्ष श्रावक (सामान्य पुरुष) और साधु (भिक्षु) की तुलना में अधिक थी (शाह और उलरीके, 2018)।

आत्मा न तो बड़ी है, न छोटी है, न गोल, न त्रिभुजाकार, न चतुष्कोणीय, न वृत्ताकार, वह न काली है, न नीली, न लाल, न हरी, न सफेद, न तो अच्छी और न ही बुरी है, न गंध, न कड़वा, न तीखा, न कसैला, न मीठा, न खुरदरा और न नरम है न भारी और न ही हल्का, न ठंडा न गर्म, न कठोर न चिकना, यह स्त्री नहीं है और न ही पुरूष है और न ही नपुंसक है। इस आधार पर सभी समान है। सिद्ध सब कुछ देखता और जानता है, फिर भी तुलना से परे है। इसका सार निराकार है, बिना शर्त की कोई शर्त नहीं है। यह ध्वनि नहीं है, रंग नहीं है, गंध नहीं है, स्वाद नहीं है, स्पर्श नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है।

– आचारंग सूत्र 1.197

व्याख्या: सिद्ध, जो स्वयं में स्थापित हो गया है, रूप से परे है और इसलिए अब इसे केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हमारे ज्ञान का सार अहिंसा है और अहिंसा का सिद्धांत समानता पर आधारित है। यह भी आवश्यक है कि जिस प्रकार मुझे दुःख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार दूसरों को भी यह अच्छा नहीं लगता, इसलिये सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिये।

– तीर्थंकर महावीर (सूत्रकृतंग, 1X1X4X10)

व्याख्या: वह सिद्धांत जो मुझे पसंद नहीं है उसे मुझे दूसरों पर भी लागू नहीं करना चाहिए। यह धार्मिक परंपराओं का एक मौलिक शिक्षण है – जो जाति, रंग, पंथ, नस्ल, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी के बीच समानता की नींव रखता है।

तीर्थंकर ऋषभ देव की बेटियां ब्राह्मी और सुंदरी

कई जैन लिपियों में यह उल्लेख किया गया है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने स्त्रियों के ज्ञान के लिए 64 विषयों को प्रदान किया, जो जैन धर्म में पुरूषों और स्त्रियों की समानता का सूचक है, विशेषकर शिक्षा का अधिकार। भगवान

ऋषभ देव जी ने अपनी एक पुत्री ब्राह्मी को भाषा व अक्षर का ज्ञान और दूसरी पुत्री सुंदरी को ललित कला का ज्ञान दिया। इस प्रकार प्रसिद्ध ब्राह्मी लिपि का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा (नातू भाई शाह, 2004)।

जैन धर्म के अनुसार प्राचीन समय महिलाओं के लिए अत्यधिक प्रेरणा का था, वह एक और स्वर्ण युग के आगमन की शुरुआत शानदार रूप से दिखा रहा था क्योंकि उस समय महिलाएं ऊंचाईयों तक पहुंचती थी। महिलाओं को उच्च स्तर की शिक्षा के लिए पूरी सुविधाएं दी गईं थी और वे आध्यात्मिक रूप से उन्मुख थीं। उस समय में कई जैन भिक्षुणियों ने जैन धर्म में किये जा रहे कार्यों की रचना की तथा रचना करने में भी मदद की। जैन परंपरा के अनुसार, कौशांबी के राजा सहस्रानिका की बेटी जयंती ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपना जीवन पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया (चौधरी, 2021)।

जैन महिलाओं का राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व

जैन इतिहास में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें महिलाएं आगे बढ़ीं और राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। प्राचीन जैन ग्रंथों में हमें पुरुषों के वेश धारण करने वाली, कवच धारण करने वाली, हथियारों, शस्त्रों, ढालों, धनुष और बाणों से लैस महिलाओं के बारे में पता चलता है और ऐसे उदाहरण भी हैं जब महिलाओं ने वास्तव में लड़ाई भी लड़ी थी।

10वीं शताब्दी ईस्वी की पहली तिमाही में एक उल्लेख मिलता है कि जैन महिला प्रशासक, जक्कियाब्बे की विशेषता है, और यह कहा जाता है कि वह शासन करने की अपनी क्षमता में कुशल थी, और कुशलता से 'नगरखंड –70' क्षेत्र की रक्षा की थी।

एक शिलालेख – एडी 918 से पता चलता है कि नादगौड़ा एक जैन विधवा थी (जो ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण ग्रामीण अधिकारी थी)। यह कुलीन महिला अपने प्रबंधन, नेतृत्व, कौशल और क्षमता में प्रतिष्ठित थी (एपिग्राफिया कर्नाटका)। इसमें कहा गया है कि उसने अपनी वीरता से गर्व के साथ अपने समुदाय की रक्षा की। 16वीं शताब्दी ईस्वी में जब जैन रानी भैरवदेवी थी तब गेरोसोप्पे के राज्य पर शासन करते हुए, पड़ोसी शैव सरदारा (नेता) द्वारा हमला किया गया था, तब उन्होंने इस दुश्मन का बहादुरी से सामना किया और उसे युद्ध में हरा दिया (सांगवे, 2023)।

आचार्य श्री चंदना – जैन परंपरा की पहली महिला आचार्य

आचार्यश्री चंदना, अमर मुनिजी महाराज द्वारा 1987 में आचार्य की उपाधि से विभूषित होने वाली पहली जैन साध्वी थी परन्तु पारंपरिक रूप से जैन धर्म के दो संप्रदायों में महिलाओं के लिए इस स्तर तक उठना असंभव ही नहीं बल्कि मुश्किल भी था। दिगंबर जैन संप्रदाय का मानना है कि महिलाएं पहले पुरुषों के रूप में पुनर्जन्म लिए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती हैं। श्वेतांबर जैन संप्रदाय इस बात से असहमत है और वे महिलाओं को भिक्षु बनने की अनुमति देता है इसलिए उनकी मोक्ष तक पहुंच को भी स्वीकारता है।

हालाँकि, श्वेतांबर पाठ में भी, 'भिक्षुओं और भिक्षुणियों पर लागू होने वाले सामान्य नियम काफी हद तक समान हैं, लेकिन कुछ कड़े भी थे ... दूसरी ओर भिक्षुणियों और भिक्षुओं के लिए स्वतंत्रता अलग–अलग थी। (1) धार्मिक जीवन अनुभव अधिक होते हुए भी, वे कनिष्ठ भिक्षुओं के अधिकार में रहती थी। (2) धार्मिक पदानुक्रम में उच्च पदों तक पहुँचने के लिए उन्हें अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में अधिक वर्षों के अनुभव की आवश्यकता थी। (3) ननों के अपने धार्मिक शीर्षक होते हैं जो भिक्षुओं की तुलना में एक निम्न श्रेणी के होते थे (जैनेदपिया, 2020)।

हाल ही में एक जैन साध्वी को आचार्य के स्तर पर नियुक्त किया और बाद में 26 जनवरी, 2022 को समाज सेवा में उत्कृष्टता के लिए, पदमश्री से सम्मानित किया गया और इस प्रकार वह सम्मानित होने वाली पहली जैन महिला है जिन्होंने वीरायतन की नींव रखी जो कि विशेष रूप से युवा लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा हेतु समर्पित संस्थान है। यह बहुत गर्व का विषय होने के साथ ही लैंगिक असमानता को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

लिंग आधारित हिंसा

लिंग आधारित हिंसा, किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसके लिंग के कारण होने वाली हिंसा है। महिला और पुरुष दोनों लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करते हैं लेकिन पीड़ितों में अधिकांश महिलाएं और लड़कियाँ होती हैं।

लिंग आधारित हिंसा एक ऐसी घटना है जो लैंगिक असमानता से गहराई से जुड़ी हुई है और सभी समाजों में सबसे प्रमुख मानव–अधिकारों के उल्लंघनों में से एक है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक महिलाओं के पूरे जीवन चक्र में होती है। (कृपया हमारे समाजों में देखी जाने वाली हिंसा के विभिन्न चरणों और रूपों को समझने के लिए लिंग आधारित हिंसा के जीवनचक्र को देखें।)

1993 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर घोषणापत्र में कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को 'लिंग आधारित हिंसा' के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होती है या होने की संभावना है, जिसमें ऐसे कृत्यों यथा धमकी, जबरदस्ती या स्वतंत्रता का मनमाना व्यवहार आदि को भी शामिल किया गया है। चाहे यह सार्वजनिक रूप से घटित हो या निजी जीवन में।

जीवन के विभिन्न चरणों में लिंग आधारित हिंसा का जीवनचक्र

यह तालिका महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ उनके जीवनकाल में हिंसा के अलग–अलग रूपों को दर्शाती है, जिसमें एक छोर पर भेदभाव से लेकर दूसरी ओर प्रत्यक्ष यौन हिंसा शामिल है। हिंसा के कुछ रूप प्रत्यक्ष और दृश्यमान हैं, कई अप्रत्यक्ष और छिपे हुए हैं।

जीवन के विभिन्न चरणों में लिंग आधारित हिंसा का जीवनचक्र

जन्म के पूर्व

- लैंगिक पक्षपात व लिंग चयन
- गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा

बचपन

- देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक असमान पहुंच

बुढ़ापा

- बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार (पुरुषों की तुलना में महिलायें अधिक प्रभावित होती है)
- घरेलू हिंसा
- यौन हिंसा
- देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक असमान पहुंच

बचपन

- बाल विवाह
- बाल यौन शोषण
- बाल तस्करी और वेश्यावृत्ति
- देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक असमान पहुंच

किशोरावस्था

- यौन हिंसा
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- जबरन वेश्यावृत्ति
- तस्करी
- व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये मजबूर करने वाली कोई भी कार्यवाही
- देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक असमान पहुंच

युवा और वयस्कता

- घरेलू हिंसा
- यौन हिंसा
- दहेज संबंधी दुर्व्यवहार और हत्या
- व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये मजबूर करने वाला कार्य
- कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न
- छेड़छाड़, यौन शोषण, बलात्कार
- देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक असमान पहुंच

भारत में लिंग आधारित हिंसा

15–49 आयु वर्ग की प्रत्येक तीन में से लगभग एक महिला अपने जीवनसाथी द्वारा लिंग आधारित हिंसा की शिकार होती है। हाल के वर्षों में इन आंकड़ों में वृद्धि हुई है।

18–49 वर्ष की आयु वर्ग के मध्य कभी न कभी विवाहित महिलाएं जिन्होंने वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया उसके प्रतिशत

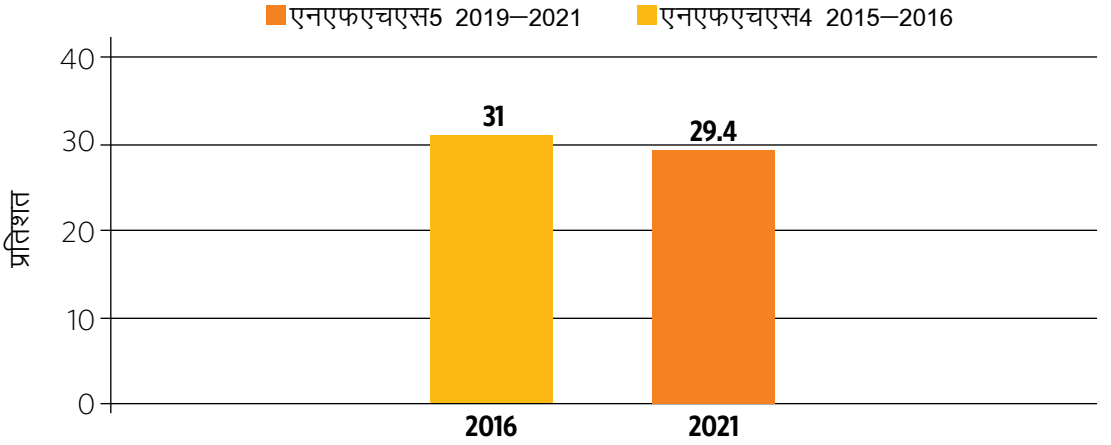

लिंग आधारित हिंसा में योगदान करने वाले संभावित कारक और कारण

- पितृसत्ता जो असमान शक्ति प्रदान करती है, पुरुषों के विशेषाधिकारों और शक्ति की स्थिति को अन्य सभी से ऊपर रखती है।
- भेदभावपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक मानदंड और प्रथाएं जो महिलाओं और लड़कियों को हाशिए पर रखती हैं ताकि उनके अधिकारों को सम्मान न मिल सके।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को सही ठहराने के लिए अक्सर लैंगिक रूढ़िवादिता का उपयोग किया जाता है।
- यौन हिंसा से जुड़ी भ्रांतियों के कारण सूचना देने और मदद मांगने का प्रतिशत काफी कम है।
- समाज में ऐसी संस्थाएं और प्रणालियां है (उदाहरण के लिए कानून और व्यवस्था), जिसके परिणामस्वरूप हिंसा और दुर्व्यव्यवहार के बावजूद दंड के प्रावधान की संस्कृति नहीं है।
- कलंक का खतरा या डर, अलगाव, सामाजिक बहिष्कार और भविष्य में होने वाली हिंसा के डर से भी अपराधी को समुदाय या अधिकारियों के हाथ बचा लिया जाता है।

लिंग आधारित हिंसा के परिणाम

लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विनाशकारी प्रभाव उनके स्वयं के जीवन पर तो पड़ता ही है, साथ ही परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हिंसा का प्रभाव अल्पकालिक और दीर्घकालिक भी हो सकता है:

लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ प्रमुख संदेशों के साथ मिथकों और गलत धारणाओं को संतुलित करना

लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी), महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा (वीएडब्ल्यूजी) मानवाधिकारों का मौलिक उल्लंघन है। वीएडब्ल्यूजी को रोकने और समाप्त करने के लिए सभी धर्म प्रतिबद्ध हैं।

मिथक और भ्रांतियां	प्रमुख संदेश
रिश्ते में तकरार, कलह और गाली–गलौज सामान्य बात है।	कुछ असहमति और संघर्ष होना वैवाहिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है लेकिन अहिंसक और सकारात्मक बातचित के लिए जगह होनी चाहिए। भावनात्मक दुर्व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार, अपमानजनक संवाद और हिंसा सामान्य नहीं हैं। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हो रही शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा एक मूक महामारी और प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
जिन महिलाओं पर हमला किया जाता है, वे कैसे कपड़े पहनती हैं या वे कहाँ जाती है, इसके लिए उन्हें दोष देना।	महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा उनकी गलती नहीं है और इसके लिए उन्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए।
उत्तरजीवी (सर्वाइवर) स्वयं पर हमले को रोकने में सक्षम हैं।	हमें अपराधी को पकड़ने और न्याय के कटघरे में लाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
लड़के तो लड़के ही रहेंगें।	हमें लड़कों और पुरुषों को लड़कियों और महिलाओं का सम्मान करने और महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त दुनिया बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित व उन्मुख करने और सिखाने की जरूरत है।
अधिकांश हिंसा अजनबियों द्वारा की जाती है।	अधिकांश लिंग आधारित हिंसा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे वे जानती हैं।
महिलाओं को परिवार को एक साथ रखने के लिए हिंसा को सहन करना चाहिए।	हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और लड़कियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए या उन्हें भी चुप नहीं रहना चाहिए। उन्हें परिवार, दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर जैसे विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंचना चाहिए, अपने क्षेत्र की एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा वर्कस को सूचित करना चाहिए।
एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है यह एक निजी मामला है। राज्य सहित किसी को भी निजी व पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।	जीबीवी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। वीएडब्ल्यूजी कोई निजी मामला नहीं है। यह हम में से हर एक से संबंधित है और हर कोई सम्मान और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकता है।
शराब और ड्रग्स जैसे मादक द्रव्यों के सेवन के कारण हिंसा होती ही है।	हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अपराधी है। मादक द्रव्यों के सेवन का परिणाम यह नहीं होता कि पुरुष, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का सहारा लें। (जैसे पुरूषों के विरूद्ध उनके पेशेवर पर्यवेक्षक, परिवार के वरिष्ठ सदस्य ऐसा नहीं करते।)

मुख्य संदेश

- हिंसा और भय से मुक्त समाज एक समृद्ध राष्ट्र की ओर पहला कदम है। हिंसा मुक्त समाज का अर्थ है एक सुरक्षित, सभ्य और विकसित समाज।
- समानता, सम्मान, जवाबदेही और साझेदारी जैसे नैतिक गुणों का विकास कर समाज से लिंग आधारित हिंसा को समाप्त कर एक सभ्य और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है।
- प्रत्येक महिला और अन्य सभी लोगों को हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है।

चिंतन के प्रमुख बिंदु

लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने की दिशा में इस सप्ताह आप अपनी धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से कौन से कदम उठा सकते हैं?

अहिंसा और अहिंसा के आध्यात्मिक मूल्यों को व्यवहार में लाने के लिए धर्म आधारित समुदाय पुरुषों और लड़कों को कैसे प्रेरित और संलग्न कर सकते हैं? आप अपने संस्थान से कौन सी गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

लिंग आधारित हिंसा पर शास्त्रीय संदर्भ

हिन्दू धर्म

चाहे वह चारों वेदों में उल्लेख हो, पतंजलि योग सूत्र का पहला यम हो या महाभारत में सर्वोच्च धर्म और सर्वश्रेष्ठ तप के रूप में व्याख्या की गयी हो या भगवद गीता में एक पारलौकिक गुण के रूप में उल्लेखित हो, अहिंसा एक मूल है, हिंदू धर्म का सिद्धांत और अन्य धार्मिक परंपराओं में भी इसे स्वीकार किया गया है (माहेश्वरी, 2020)।

हिंदू धर्म परंपरा में अहिंसा अर्थात मन, वाणी, कर्म या शरीर के माध्यम से कभी भी किसी भी समय किसी भी जीवित प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाने से है। इस आधार पर लिंग आधारित हिंसा को हिंदू धर्म परंपरा में प्रोत्साहित नहीं किया गया है, अर्थात हिंसा का कोई स्थान नहीं है।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

– मनुस्मृति श्लोक 3•56 ॥

अर्थातः जहाँ दिव्य नारियों का आदर होता है, वहाँ देवत्व का उदय होता है, और जहाँ दैवीय नारियों का अनादर होता है, वहाँ सभी कार्य चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हों, सब निष्फल हैं।

अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम।

उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम।।

– महोपनिषद (अध्याय 6, मंत्र 71)

अर्थातः सारी दुनिया एक परिवार है, इसलिए मिलजुल कर रहें। द्वैत की संस्कृति से ऊपर उठकर सभी स्त्री–पुरुषों को आपस में मिल–जुलकर रहना चाहिए।

शोचन्ति जामयोयत्र विनश्यत्याशु तत् कुलम्।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा।।

– मनुस्मृति 3.57

अर्थातः जहाँ स्त्री दुःखी रहती हैं, वहाँ कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है, लेकिन जिस परिवार में स्त्री दुखी नहीं है, वह हमेशा समृद्ध होता है (मनीष, 2022)।

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।।

– ऋग्वेद 10.191.2 ॥

अर्थातः मनुष्य (स्त्री और पुरुष) सब एक सूत्र में बँधे रहें, एक साथ रहें ताकि वे एक–दूसरे से संवाद कर सकें, एक–दूसरे के सुख–दुख में विचारों को सुन सकें और संवाद कर सकें ताकि दोनों का मन एक हो जाए, आपस में मनमुटाव न हो और आपसी हिंसा न हो क्योंकि यही सच्चा सुख है।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।

– ऋग्वेद 10.191.3 ॥

अर्थातः महिला और पुरुष समान विचार, समान दृष्टिकोण, समान व्यवहार, समान हृदय और मन वाले, साथ–साथ जीवन में अपनी भूमिकायें निभाते हैं और धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करते हैं।

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मड्नो यथा वः सुसहासति।।

– ऋग्वेद 10.191.4 ॥

अर्थातः महिला और पुरुष महत्व में समान हैं, उनके व्यवहार और दिमाग समान हैं, इसलिए उनके बीच आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए, हिंसा की नहीं, क्योंकि अहिंसा मानवता की पहचान है।

महाभारत में द्रौपदी

महाभारत जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, उसमें उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन और उसके मामा शकुनि द्वारा युधिष्ठिर को जुए में हराने के बाद उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी का अपहरण कर लिया गया था। द्रौपदी का अनादर करने के इरादे से, दुर्योधन ने उसे कौरवों के शाही दरबार में बुलाया, दुशासन ने द्रौपदी को बालों से घसीट कर पूरे शाही दरबार के सामने उसका अपमान करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें द्रौपदी ने अपना भाई और अपना भगवान माना था उन्होंने साड़ी को बढ़ाकर उसकी रक्षा की। उसी समय वहां विद्यमान बुद्धिमान विदुर ने इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई।

द्रौपदी, पांचाल के समृद्ध राज्य से आई थी और फिर इंद्रप्रस्थ की रानी थी। उसने अपनी रक्षा के लिए पूरे दरबार से विनती की और वह लगातार आवाज लगाती रही। वह महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाने वाली और अपनी महान शक्ति और धैर्य को दर्शाने वाली इतिहास की पहली प्रसिद्ध महिला हैं। वह मानती है कि महिलाओं को बदनाम करने वाले ऐसे कृत्यों के लिए सजा के अलावा कोई और प्रावधान नहीं है (मिश्रा, 2010)। बाद में पांडवों को उनकी मां द्वारा अपनी पत्नी द्रौपदी को जुआ खेलते समय हारने के लिए फटकार भी लगाई गई थी, पांडवों की माता ने कहा कि द्रौपदी एक वस्तु नहीं है बल्कि वह परिवार की गरिमा और सम्मान है, इसलिये उनका अपमान करना अर्थात पूरे परिवार का घोर अपमान करने के समान है।

सिख धर्म

ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁਹ ਨਹੀਂ ਫਟਿਕਾਰਨਾ
ਸ਼ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁਹ ਨਹੀਂ ਫਟਿਕਾਰਨਾਸ਼

स्त्री दा मुँह नहीं फटकारना

— 16वां हुकनामा

अर्थातः अपनी पत्नी को फटकारना (गाली.गलौच) या मौखिक दुर्व्यहार नहीं करना चाहिये।

व्याख्याः हुकम में, या 'हुकमनामा' या 'ईश्वरीय आदेश' या 'ईश्वरीय उपदेश' श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे गये हैं, जो 52 हैं, और उन्हें ईश्वरीय निर्देश के रूप में देखा जाता हैं। हुकम 16 विशेष रूप से पत्नी को फटकारने या गाली नहीं देने का उपदेश देता है। फटकारना शारीरिक हिंसा या दुर्व्यव्यवहार का ही एक सूक्ष्म रूप है। सिख धर्म मानता है कि मौखिक, भावनात्मक और मानसिक शोषण भी हिंसा का ही एक रूप है।

ਪਰ- ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਧੀ ਕਰ ਜਾਣਨੀ ।

पर स्त्री, माँ, बहन, धि (बेटी) कर जानी। पर स्त्री द संग नहीं करना।

— 15वां हुकमनामा

अर्थातः अपनी पत्नी के अलावा सभी औरतों को माँ, बहन, बेटी के रूप में देखना है। पराई स्त्री के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखना है।

व्याख्याः 15वां हुकम विशेष रूप से व्यक्ति को अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी महिलाओं को अपनी माँ या बहनों के रूप में मानने का आदेश देता है, अर्थात बलात्कार और अन्य महिलाओं के साथ गैर–सहमति वाले संबंधों की कड़ी निंदा करता है।

ਕਠਨ ਕਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰਿ ਜਹਿ ਸੁਧਿ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ ॥

कठन करोध घट ही के भीतरि जिह सुधि सभ बिसराई।।

— श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 219

अर्थातः अगर हृदय क्रोध और हिंसा से भरा है तो इसके कारण सभी इंद्रियाँ विस्मृत हो जाती हैं, अर्थात ठीक से कार्य करना बंद कर देती है।

व्याख्याः हिंसा और क्रोध के प्रभावों के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में एक चेतावनी के रूप में निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों की संगति से दूर जो जो दुष्ट इरादे वाले हैं, कामुक इच्छा और क्रोध से भरे हुए हैं।

ਜਉ ਜੋਰੁ ਸਰਿਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥
ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖਿ ਵਸੈ ਨਤਿ ਨਤਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

जिउ जोरू सिरनावणी आवै वारो वार।
जूठे जूठा मुखि वसै नित नित होइ खुआरु।।

— श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 472

अर्थातः जैसे एक स्त्री को महीने–दर–महीने मासिक धर्म होता है, वैसे ही झूठे व्यक्ति के मुंह में हमेशा ही झूठ रहता है, हम उनको पवित्र नहीं कहेंगे जो सिर्फ शरीर धोकर बैठ जाते हैं, हे नानक, जिनके मन में ईश्वर का वास है अर्थात वे ही शुद्ध हैं।

ਜੇ ਕਰਿ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕੁ ਹੋਇ ॥
ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰਿ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥
ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਪਹਲਿਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਤਿ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਸੂਤਕੁ ਕਉ ਕਰਿ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕੁ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨੁ ਉਤਾਰੇ ਧੋਇ ॥੧॥

जे करि सूतकु मंनीऐ सभ तै सूतकु होइ।।
गोहे अतै लकड़ी अंदरि कीड़ा होइ।।
जेते दाणे अंन के जीआ बाझु न कोइ।।
पहिला पाणी जीउ है जितु हरिआ सभु कोइ।।
सूतकु किउ करि रखीऐ सूतकु पवै रसोइ।।
नानक सूतकु एव न उतरै गिआनु उतारे धोइ।।

— श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 472

अर्थातः यदि कोई अपवित्रता (सूतक) की अवधारणा को स्वीकार करता है, तो हर जगह अपवित्रता है।

जैसे गाय के गोबर और लकड़ी में कीड़े होते हैं।

अन्न के जितने दाने हैं, उन में से कोई भी बिना प्राण के नहीं है।

सर्वप्रथम पानी में जीवन है, जिससे बाकी सब कुछ हरा–भरा हो जाता है।

अशुद्धता को कैसे दूर किया जा सकता है? यह हमारी अपनी रसोई में भी विद्यमान है।

हे नानक, इस तरह अशुद्धता दूर नहीं होती है, इसे दिव्य ज्ञान से ही दूर किया जा जाता है। ॥1॥

व्याख्याः गुरु नानक ने 'सूतक' के सामाजिक अनुष्ठान की स्पष्ट रूप से आलोचना की। सूतक अनुष्ठान अशुद्धता के समय की अवधि है, बच्चे को जन्म देने के बाद पहले 40 दिनों के दौरान और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्रता के रूप में देखे जाने के बारे में, प्रतिबंधों और अंधविश्वासों के बारे में यह अंग हमें संदेश देता है। उस समय के दौरान महिलाओं के प्रति निर्देशित नकारात्मकता को नकारने के लिए गुरु नानक देव जी ने महिलाओं के सकारात्मक गुणों और गरिमा पर जोर दिया और गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास किया।

ਹੋਰਿ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜੁ ਜਿ ਰਖਿ ਦਿਖਾਲਹਿ ਸੁ ਕੂੜੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਚੁ ਪਾਜੋ ॥
ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ ॥ ੪॥

होरि मनमुख दाजु जि रखि दिखालहि सु कूड्ड अहंकारु कचु पाजो।।

हर प्रभ मेराए बाबुला हर धावेहु धान माई धाजो ॥ 4॥

गुरु राम दास, गुरु ग्रंथ साहिब–अंग 79

अर्थातः अपनी सांसारिक इच्छाओं का पालन करने वाले द्वारा किया गया कोई भी कार्य, जैसे दहेज दिखावे के लिए होता है, वह केवल झूठा अहंकार और एक प्रकार का प्रदर्शन है। हे मेरे पिता, कृपया मुझे मेरी शादी के उपहार और दहेज के रूप में भगवान का स्मरण दें।

व्याख्याः सिख परंपरा के गुरुओं द्वारा दहेज, पर्दा और अन्य प्रथाओं की निंदा की गई, जो कि महिलाओं को आगे आने से रोकती है तथा उनके विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। उन्होंने समाज में सकारात्मक योगदान देने वाली प्रथाओं को प्रोत्साहित किया।

बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म जनसमुदाय के लिए नैतिक संहिता बुद्ध के पंचशील (पांच उपदेश) या पांच नियमों के पालन का संदेश देता है। पंचशील आचार संहिता हैं जिनका बौद्धों को पालन करना अनिवार्य है, जैसे जीवित प्राणियों को मारना नहीं, चोरी नहीं करना, यौन दुर्व्यवहार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा करने से परहेज करने का संदेश देता है।

1– पाणतिपता वरमणि–सिखपदम समाद्यामि ॥

अर्थात: मैं किसी भी जीव का नाश करने या उसके प्राण लेने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।

व्याख्या: पहला शील किसी भी जीवित प्राणी के जीवन को कष्ट न देने का संदेश देता है और इसका उल्लंघन तब होता है जब कोई जानबूझकर किसी जीवित प्राणी को मारता है, नुकसान पहुंचाता है या पीटता है। यह कृत्य इस सिद्धांत के विरूद्ध है। यह सिद्धान्त सभी के प्रति दया और परोपकार की भावना का संदेश देता है।

बौद्ध धर्म में अहिंसा केवल एक सिद्धांत या नियम नहीं है बल्कि एक मौलिक गुण है (चिंचोरे 103)। अहिंसा एक गुण है जो एक बौद्ध अनुयायी को उनके निर्वाण के अंतिम लक्ष्य (पूर्ण सुख की स्थिति) के करीब लाता है। इस उपदेश का सार अंतर्निहित, सहजीवी और अन्योन्याश्रित संबंध से है जो बौद्ध धर्म की गहराई में निहित है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी अन्य के प्रति हिंसा का कोई भी कार्य अनिवार्य रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने के समान है (घोष 58)।

3– कामेसु मिचचर वरमणि–सिखपदं समदायमि ॥

अर्थात: मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।

व्याख्या: इसमें एक विवाहित या व्यस्क व्यक्ति के साथ व्यभिचार, बलात्कार, अनाचार न करने, एक नाबालिग के साथ संभोग न करने और वेश्या के साथ यौन संबंध न बनाने का संदेश दिया गया है। साथ ही इसमें शादी के बाद जबरन संभोग और महिलाओं का अपमान करने वाले कृत्यों का बहिष्कार किया गया है। तीसरा सिद्धांत स्वार्थ में निहित है क्योंकि जहां स्वार्थ होता है, उससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। संतोष, विशेष रूप से अपने साथी के साथ, अर्थात विवाह

के पश्चात अपने संबंधों में वफादारी और सम्मान बनाये रखने का उपदेश देता हैं (अमृता, 2022)।

5– सुरा–मेरय–मज्ज–पमादठ्ठाना वेरमणी– सिक्खापदं समादयामि॥

अर्थातः मैं असावधानी की ओर ले जाने वाले मादक पेयों तथा मादक द्रव्यों से विरत (विलग, दूर) रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।

व्याख्याः पाँचवाँ उपदेश नशीले पेय, ड्रग्स या अन्य तरीकों से नशा न करने का संदेश देता है, क्योंकि नशा मुक्त होने पर ही हम सचेतन और जिम्मेदारी से युक्त रहते हैं। नशा हमारे भोजन, श्रम, व्यवहार और जीवन की प्रकृति को प्रभावित करता है। नशा व शराब के कारण झगड़े होते है, तनाव होता है, सोचने–समझने की शक्ति क्षीण होती है। महायान ब्रह्मजल सूत्र में नशे के खतरों के बारे में उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से शराब की बिक्री (अमृता, 2022) के विरूद्ध भी कठोर भाषा में उपदेश दिया गया है।

शराब लैंगिक हिंसा को बनाए रखने और महिलाओं के बीच उत्पीड़न का प्रमुख कारण है (शिव, 2021) इसलिए नशे के प्रयोग को बंद कर लिंग आधारित हिंसा के कुछ मूल कारणों को समाप्त किया जा सकता है।

पाँच उपदेशों के अलावा, छह दिशाएं, जैसा कि सिगलोवाध सुत्त और दीघा निकाय में बुद्ध का उपदेश समाहित हैं, जो कि गृहस्थों, परिवार व समाज के बीच पारस्परिक संबंधों को सुगम बनाने के लिये हैं। पांच उपदेशों और छह दिशाओं के साथ–साथ चरित्र की दस सिद्धियों का भी वर्णन है जिसके आधार पर कल्याण, समृद्धि और हिंसा मुक्त परिवार और समाज (एदिरीसिंघे) का निर्माण सम्भव हो सकता है।

इसी तरह, धम्मपद में, छंदों के रूप में भगवान बुद्ध के कथनों का संग्रह है। धम्मपद सबसे व्यापक रूप से पढ़े जाने वाला और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध धर्मग्रंथों में से एक है। यहां पर उसके कुछ छंदों का उल्लेख किया है जो हमें लिंग आधारित हिंसा तथा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हो रही हिंसा के मूल कारणों की जानकारी देता हैः

सब्बे तसंती दशहरा, सब्बे भायंती मैकुनो
अतानां उपमं कटवा, न हन, या न घटयेः

– धम्मपद श्लोक 129 और 130

अर्थातः हिंसा से सब कांपते हैं, सभी मृत्यु से डरते हैं इसलिये दूसरों को अपने समान मानो। न किसी को मारो और न ही किसी भी प्रकार की हिंसा करो।

मावोका फारुशं कांची, वुट्टा पाशिवाडेयु ताशी
दुखा ही सरम्भकथा, पंडिता फुसेयु ताः
सचे नेरेसी अतानां, कंसो उपहातो यथाः
एसा पत्तो की निब्बानं, सरंभो ते न विज्जतिः

– धम्मपद श्लोक 133–134

अर्थातः किसी से कटु वचन न बोलें क्योंकि कटु और द्वेषपूर्ण बातें वास्तव में परेशानी (दुःख) का कारण हैं, इससे स्वंय को ही प्रतिशोध मिलेगा। यदि आप अपने आप को एक टूटी हुए घंटी की तरह शांत रख सकते हैं जो टूटने के बाद गुंजायमान नहीं होती, इसी तरह शांत होकर जीवन यापन करने पर निश्चित रूप से निर्वाण का एहसास होगा, आपके अंदर निर्मलता और कोमलता आयेगी।

व्याख्याः दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जो आप अपने लिये चाहते हैं। यही समग्र मूल सिद्धांत है। – धम्मपद श्लोक 129, 130, 133, 134

इसमें शारीरिक हिंसा और दूसरे को मारने का प्रयास, कठोर शब्द और दूसरे को परेशान करने वाले कार्यों के विषय में उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही अंततः स्वयं के पास वापस आता है। इसलिए संघर्ष और हिंसा से बचना चाहिये। हिंसा का स्थान किसी पद, शिक्षा, शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक या मानसिक किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिये।

आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को भोजन कराया –

एक समय था जब आम्रपाली चाहती थीं कि उसे भगवान बृद्ध को भोजन परोसने का सौभाग्य प्राप्त हो, वह भी ऐसे समय में जब गणिकाओं को विलासिता की वस्तुयें और धन प्रदान किया जाता था। गणिकाओं को अशुद्ध और अपवित्र भी माना जाता था तथा साधकों और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों को विचलित करने के रूप में भी स्वीकार किया जाता था। इस मानसिकता और सब की इच्छा के विरूद्ध भगवान बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण व स्वंय भोजन परोसने के आग्रह को स्वीकार किया। (उस समय राजा अजातशत्रु के कारण वैशाली के शासक अभिजात वर्ग के कहलाते थे।) इसके तुरंत बाद उनसे गहरी आस्था के साथ बिना किसी शर्त के प्रेम व स्वीकृति से गणिका का पद त्याग दिया और बौद्ध मार्ग को स्वीकार किया तथा एक सक्रिय समर्थक बन गयी। बौद्ध क्रम (मानसून, 2019)।

ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनमें गणिकाएं, उपपत्नी (जिन्हें रखैल कहा जाता है) या यहां तक कि वेश्याओं को भी हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था क्योंकि बौद्ध धर्म में ईमानदारी और धम्म के मार्ग का अभ्यास संघ के आरम्भ से ही किया जाता था। ये उदाहरण बताते हैं कि सामाजिक बहिष्करण के कारण या ऐसी महिलाएं और लड़कियां जिन्हें अक्सर कोई पसंद नहीं करता, देह व्यापार की ओर धकेल दी जाती थी। बौद्ध धर्म में आस्था परंपराओं में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ऐसी महिलाओं के लिये दूसरा रास्ता तलाशना चाहते हैं। इस तरह, बौद्ध धर्म ने इन कृत्यों के स्रोत को प्राप्त करने का प्रयास किया और बिना शर्त के अभ्यास कर इस हिंसा का मुकाबला करके करुणा, परोपकार और सभी के लिए प्रेम का मार्ग प्रशस्त किया।

जैन धर्म

अहिंसा, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन परंपरा के अनगिनत सूत्रों और धर्मग्रंथों में इस पर जोर दिया गया है, साथ ही साथ जैन धर्म का सिंद्धान्त इस शिक्षा में निहित है कि हम दूसरों के साथ जो करते हैं वह अंततः हमारे पास वापस आता है, इसलिए सभी जीवित प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिये क्योंकि वे मौलिक रूप से समान हैं।

अहिंसा परमो धर्मः

अर्थातः अहिंसा परम धर्म है।

इस सूत्र को जैन मंदिरों की दीवारों पर खुदा हुआ देखा जा सकता है जो जैन धर्म में इसकी श्रेष्ठता और महत्व को दर्शाता है।

यहाँ अहिंसा पर कुछ और सूत्र दिए गए हैं जो जैन धर्म में इस मूल शिक्षा को दर्शाते हैंः

एवं खुणाणिणो सारं, जंण हिंसइ किंचणं।
अहिंसा समयं चेव, एतावतं वियाणिया।।

– श्री सुयगदंगा सूत्र–दूसरा अंग सूत्र

अर्थातः किसी भी जीवित प्राणी को मारना या नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हमें अहिंसा के सिद्धांत को उसके वास्तविक रूप में समझना होगा और इस प्रकार सभी जीवों के प्रति समानता की भावना रखनी होगी। (बरवलिया, 2012 पृष्ठ 10)

से णं भंते! णाणे किं फले? विण्णाणफले

– श्री भगवती सूत्र

अर्थातः किसी का अपमान, अनादर या दमन नहीं होना चाहिए।

किसी भी सत्व (सभी सत्वों) को क्षति न पहुँचाना ही एकमात्र धर्म है।

योगशास्त्र (जैन धर्म का प्रथम सत्य)

"मारो मत, दर्द मत दो। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है।"

– तीर्थंकर महावीर

लोग कई तरह से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जीवित प्राणियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल होते हैं, इस बात को समझकर बुद्धिमान व्यक्ति न स्वयं किसी के शरीर पर हिंसा करता है, न दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है और न ही ऐसा करने का अनुमोदन करता है। अपने शरीर पर हिंसा करना सही नहीं है, न ही दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना और न ही ऐसा करने की स्वीकृति देना।

– अचरंग सूत्र, अध्याय 1

जीववहो अप्पवहो जीवदया होइ अप्पणो हु दया।
विसकंटओव्व हिंसा परिहरियच्चा तदो होदि।। 793

दूसरों के प्रति करुणा स्वयं के प्रति करुणा है।
इसलिए विष और कांटों (दुःख देने वाले) जैसी हिंसा से बचना चाहिए।।

– भगवती आराधना, 797

किसी जीव की हत्या करना स्वयं की हत्या करने के समान है।

दूसरों के प्रति करुणा स्वयं के प्रति करुणा के समान है इसलिए विष और कांटों जैसी हिंसा से बचना चाहिए क्योंकि यही दर्द का कारण है।

हिंसा, आध्यात्मिक जागृति के लिए एक बड़ी बाधा है, और जो जीवित प्राणियों को नुकसान पहुँचाती है। हिसंक व्यक्तिों को आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। अन्य प्राणियों को नुकसान पहुँचाना हमेशा स्वयं के लिए हानिकारक होता है – यह आत्मज्ञान न होने का मुख्य कारण है (आई.1.2)।

– अचरंग सूत्र, 21

तस्मा न ह्युसे परौ अट्ठाकामो एस आई 75

अर्थातः यदि आप अपने आप को दूसरे की स्थिति में रखते हैं, तो आप दूसरे के जीवन या अंगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते।

– उत्तराध्यायन 24, सूत्र 21, 25

तीर्थंकर महावीर ने कहाः

सुख–दुःख में, हमें सभी प्राणियों को वैसा ही देखना चाहिए जैसा हम स्वयं को देखना चाहते हैं।

यह संदेश प्रत्येक काल में सभी संतों ने कहा है और उपदेश दिया है, इसका प्रचार किया है और विस्तार भी करते आये हैं कि जो भी सांस लेता है, जो अस्तित्व में है, जो जीवित है, या जिसमें सार या जीवन की क्षमता है, उसे नष्ट, शासित, वशीभूत करना अथवा उनके सार तत्व या क्षमता को नुकसान पहुँचाना व नकारना (हेय दृष्टि से देखना) तर्कसंगत नहीं है।

इस सत्य के समर्थन में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ – 'क्या दुःख या पीड़ा आपको प्रिय है?' यदि आप कहते हैं 'हाँ यह है' तो यह झूठ होगा। यदि आप कहते हैं, 'नहीं, ऐसा नहीं है' तो आप सत्य को व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा व्यक्त किए गए सत्य में जो जोड़ना चाहता हूं, वह यह है कि जैसे दुख या दर्द आपके लिए वांछनीय नहीं है, स्वीकार नहीं है, वैसे ही यह उन सभी के लिए है जो सांस लेते हैं, जीते हैं या जिनमें जीवन का कोई भी सार तत्व है – उन सभी के लिए भी यह अवांछनीय, दर्दनाक और असहनीय है।

जिसे तुम नष्ट करने योग्य समझते हो, वह तुम ही हो। जिसे तुम अनुशासित करने योग्य समझते हो, वह स्वयं तुम ही हो। जिसे तुम वश में करने योग्य समझते हो, वह तुम ही हो। जिसे तुम मारने योग्य समझते हो, वह तुम ही हो। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ता है, इसलिए कुछ भी नष्ट न करें और किसी के भी साथ हिंसा न करो।

– जैन सूत्र, अचरंग और कल्प सूत्र

आम्मवत्सर्वभूतेषु सुखदुःखे प्रियाप्रिये।
चिन्तयन्नात्मनोऽनिष्टां हिंसामन्यस्य नाचरेत्।।

– योग शास्त्र, श्री हेमचंद्राचार्यजी द्वारा रचित द्वितीया प्रकाश/अध्याय–2, गाथा–20

अर्थातः प्रसन्नता या आनन्द में, सुख या दुःख में, हमें चाहिए कि सभी प्राणियों का सम्मान करें जैसा कि हम स्वयं के लिये चाहते हैं। हमें दूसरों को ऐसी चोट पहुँचाने से बचना चाहिए जिससे उन्हें नुकसान पहुँचे, जो हमारे लिये अवांछनीय प्रतीत होते हैं, उसे दूसरों पर भी लागू न करें।

7 वयं पुण एवमाइक्खामो, एवं भासामो, एवं पण्णवेमो, एवं परूवमो – सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, ण हंतव्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण परिघेयव्वा, ण परियावेयव्वा, ण उद्दवेयव्वा। एत्थ वि जाणह णत्थित्थ दोसो। आरियवयणमेयं।

8 पुव्वं णिकाय समयं पत्तेयं पत्तेयं पुच्छिस्सामो– हं भो पावादुया! किं भे सायं दुक्खं उदाहु असायं ? समिया पडिवण्णे या वि एवं बूया–सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूयाणं सव्वेसिं जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं असायं अपरिणिव्वाणं महब्भयं दुक्खं। त्ति बेमि।

श्री आचारंग सूत्र, भाग–1, अध्ययन–4, उद्देशक–2, सूत्र–7,8

अर्थातः मैं इतना कहता हूँ और आदि काल से ही सभी संत, कहते हैं – बोलो, प्रचार करो, और विस्तार करो। ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है जो साँस लेता है, जो मौजूद है, जो रहता है, या जिसका सार या क्षमता है – उसका जीवन, नष्ट किया जाना चाहिए या उस पर शासन किया जाना चाहिए, या उसे वशीभूत किया जाना चाहिए, या नुकसान पहुँचाया जाना चाहिए, या उसके सार या क्षमता को इनकार किया जाना चाहिये।

इस सत्य के समर्थन में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ – 'दुःख हो या पीड़ा क्या यह आपके लिए वांछनीय है?' यदि आप कहते हैं 'हाँ यह है' तो यह झूठ होगा। यदि आप कहते हैं, 'नहीं, यह नहीं है' तो आप सत्य कह कर रहे हैं। जो मैं चाहता हूँ–आपके द्वारा व्यक्त सत्य से जुड़ने के लिए यह जरूरी है कि जैसे दुःख या पीड़ा का आप अनुभव करते हैं, जो आपके लिए वांछनीय नहीं है, वह उन सभी के लिए जो सांस लेते हैं, मौजूद हैं, जीवित हैं या उनमें जीवन का कोई सार मौजूद है, उन सभी के लिए, यह अवांछनीय, दर्दनाक है और घृणित है।

6 तुमं सि णाम सच्चेव जं हंतव्वं ति मण्णसि। तुमं सि णाम सच्चेव जं अज्जावेयव्वं ति मण्णसि। तुमं सि णाम सच्चेव जं परियावेयव्वं ति मण्णसि। तुमं सि णाम सच्चेव जं परिघेयव्वं ति मण्णसि। तुमं सि णाम सच्चेव जं उद्दवेयव्वं ति मण्णसि।

श्री आचारंग सूत्र, भाग–1, अध्ययन–5, उद्देशक–5, सूत्र–6

अर्थातः जिसे तुम नष्ट करने योग्य समझते हो, वह (जैसे) आप स्वयं है। जिसे तुम अनुशासित करने लायक समझते हो, वह (जैसे) आप स्वयं है। जिसे तुम वश में करने योग्य समझते हो, वह (जैसे) आप स्वयं है। जिसे तुम मारने योग्य समझते हो, वह तुम ही हो। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ता है, इसलिए ऐसा न करें जिससे कुछ भी नष्ट हो।

चंदनाः प्रदत्त हिंसा से प्रेरित अहिंसा तक (6–5 शताब्दी ईसा पूर्व)

चंदना को महावीर जैन परंपरा की पहली नन मानते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेने के बाद, अपने जीवनकाल में एक लड़की और एक महिला होने के कारण अपार पीड़ा और अत्याचार का अनुभव करना पड़ा। प्रारंभ में जब उनके राज्य पर आक्रमण हुआ तब उनकी माता धारानी और चंदना का अपहरण कर लिया गया और उन्हें यौन उत्पीड़न के इरादे से एक सुनसान जंगल में ले गये। धारानी यह सब सह न सकी और उन्होंने आत्महत्या कर ली जिससे सैनिक परेशान हो गये और वे पश्चाताप की भावना से चंदना को अपने साथ कोसांबी लेकर आ गए। वहाँ धनवाह नाम के एक व्यापारी ने चंदना को खरीद लिया ताकि वह उनकी पत्नी मूलादेवी को घर के कामों में मदद कर सके।

देखते ही देखते धनवाह, चंदना को अपनी बेटी के रूप में स्वीकर करने लगा लेकिन उनकी पत्नी, मूलादेवी, चंदना के प्रति अपने पति के स्नेह को देखकर ईर्ष्या करने लगी और उसने चंदना के लंबे और सुंदर बालों को काट दिया, चंदना का मुड़न कर दिया, और उसे एक अंधेरे कमरे में रखने लगी ताकि वह भूख–प्यास से मर जाए। उस समय धनवाह बाहर यात्रा पर था। जब वह वापस आया तो देखा की चंदना नहीं है, उसने पूछा कि उसके पीछे घर में क्या हुआ?

वह चंदना की स्थिति जानकर चौंक गया। धनवाह ने चंदना को मुक्त कर उसे भोजन ग्रहण करने के लिये कहा परन्तु तब चंदना ने एक राजकुमारी से लेकर दासी तक के अपने जीवन को प्रतिबिंबित कर जीवन की क्षणभंगुरता को समझते हुये अपना तीन दिनों का व्रत तोड़ने से पहले वह एक मुनि को भोजन कराने की इच्छा रखी।

उस समय तीर्थंकर भगवान महावीर जो 5 महीने और 28 दिनों का उपवास कर रहे थे और उसी क्षेत्र में 10 असंभव सवालों का जबाव खोजने के लिये भटक रहे थे, तब चंदना ने उन सभी शर्तों और सवालों को पूरा किया। उसके पश्चात् तीर्थंकर महावीर ने चंदना द्वारा परोसा भोजन मसूर की दाल को स्वीकार कर ग्रहण किया। उसके पश्चात चंदना ने अपना शेष जीवन आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने हेतु समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि वह जैन परंपरा की पहली नन बन गईं और फिर उन्होंने जैन साध्वियों के एक संघ का नेतृत्व किया। वह संघ आज भी जीवंत है (मल्होत्रा, 2022)।

बाल विवाह

बाल विवाह क्या है

- बाल विवाह का तात्पर्य कानूनी उम्र (18 वर्ष से कम की लड़कियां, 21 वर्ष से कम आयु के लड़के) से पहले किसी व्यक्ति के विवाह से संदर्भित है।
- यह दंडनीय अपराध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006) के बावजूद, सामाजिक–आर्थिक कारकों (स्पेक्ट्रम), सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों सहित अन्य कारकों के कारण यह प्रथा व्यापक बनी हुई है। अन्य कारणों के अलावा आज भी भारत के कई हिस्सों में यह व्याप्त है।

भारत में बाल विवाह के रुझान और स्थिति

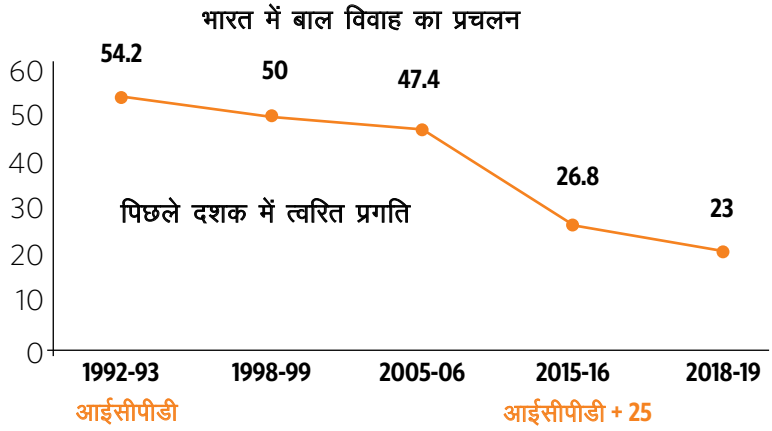

- भारत में विवाह की औसत आयु समय के साथ बढ़ रही है।
- बाल विवाह का प्रचलन 2005–06 में 47.4 प्रतिशत से घटकर 2019–21 में 23.3 प्रतिशत हो गया है। पिछले दशक के दौरान 24.1 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई है।
- युवा महिलाओं (18–19 वर्ष) के बीच बाल विवाह, 2005–06 में 37.7 प्रतिशत से घटकर 2019–21 में 16.3 प्रतिशत हो गया।

18 वर्ष की उम्र से पहले विवाह करने वाली लड़कियों का भारत में प्रतिशत
एनएफएचएस–3, 4 और 5

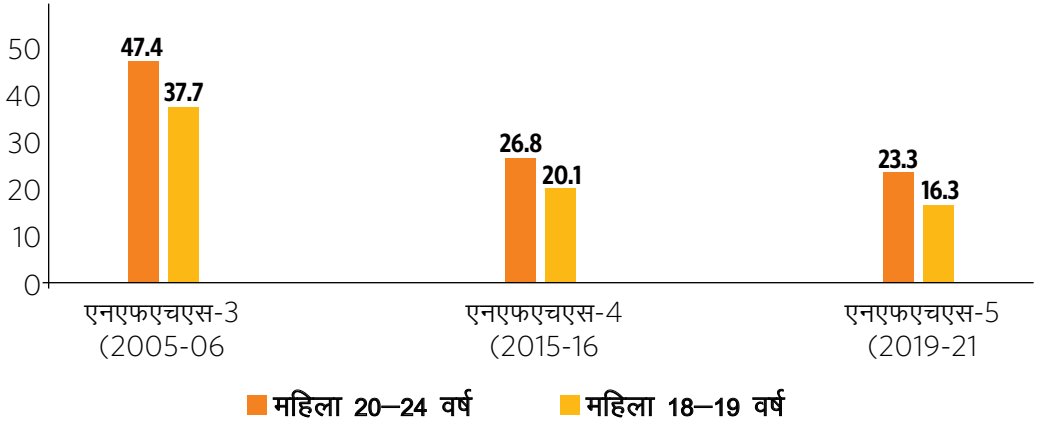

बाल विवाह को बढ़ाने वाले संभावित कारक और कारण

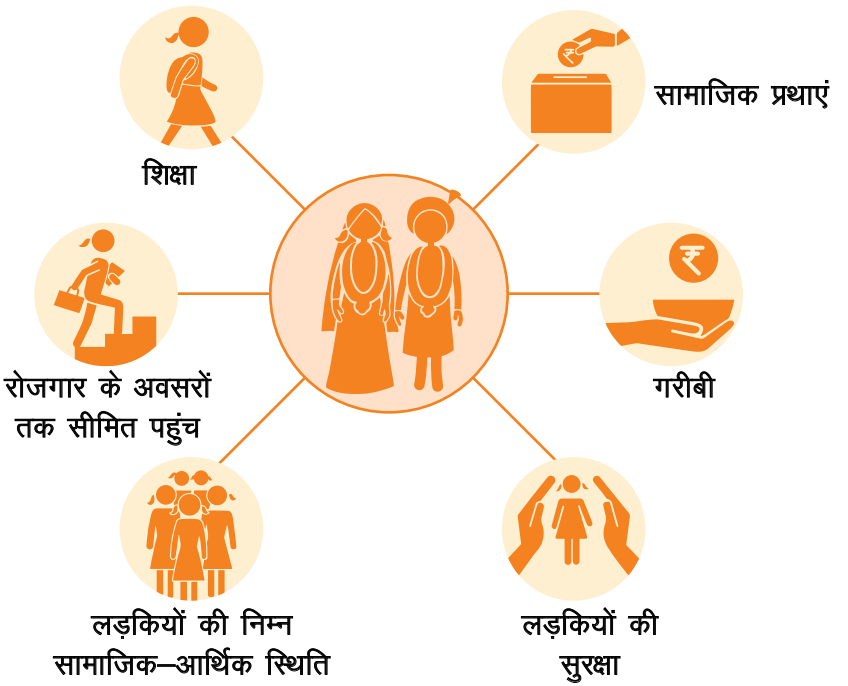

सामाजिक मानदंड और प्रथाएं

एक पितृसत्तात्मक समाज के हानिकारक सामाजिक मानदंड अक्सर एक लड़की की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को कम महत्व देते हैं। सामाजिक मानदंड भी परिवारों को लड़कियों के यौन (कामुकता) को नियंत्रित करने और इसे परिवार के सम्मान की धारणाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं – ये अक्सर समाज में बाल विवाह की प्रथाओं को सामान्य करते हैं।

शिक्षा तक सीमित पहुंच

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की तुलना में अशिक्षित लड़कियों की 18 वर्ष की आयु से पहले शादी होने की संभावना 16 गुना अधिक होती है, और केवल प्राथमिक शिक्षा वाली लड़कियों की 18 साल की उम्र से पहले शादी होने की संभावना 13 गुना अधिक होती है (यूएनएफपीए)। लड़कियों को ज्ञान और कौशल हासिल करने और उनके जीवन विकल्पों का विस्तार करने, उन्हें सक्षम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च शिक्षा में निवेश करना समय की मांग है।

गरीबी

गरीब क्षेत्रों में, अधिक बच्चों वाले परिवारों को आर्थिक बोझ कम करने के तरीके के रूप में अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपनी बेटियों की शादी करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिये भी शिक्षा में निवेश नहीं करते।

लड़कियों की सुरक्षा

संघर्ष, सामान्य हिंसा, प्राकृतिक खतरों – जलवायु परिवर्तन और बीमारी के प्रकोप सहित भूख और गरीबी के कारण होने वाले संकट बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले कारकों को बढ़ाते हैं। विवाह को माता–पिता द्वारा लड़कियों को हिंसा से बचाने या बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता या बढ़ते अपराध और हिंसा के स्थानों में सुरक्षा तक पहुंच के बोझ को कम करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है।

लड़कियों की निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति

जिसमें उन्हें एक बोझ/दायित्व के रूप में देखा जाता है और इसलिए बाल विवाह जिम्मेदारी सौंपने और बोझ से मुक्त होने का एक तरीका भी हो सकता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बाल विवाह के कई कारण हो सकते हैं जो बाल विवाह को प्रभावित कर सकते हैं। यह गरीबी, शिक्षा की कमी, हानिकारक सामाजिक मानदंडों, प्रथाओं और असुरक्षा के कारण भी हो सकता है। यह समुदायों, क्षेत्रों, राष्ट्र में भिन्न रूपों में हो सकता है।

बाल विवाह के परिणाम

मूल संदेश

- बाल विवाह कानूनी और दंडनीय अपराध है।
- बाल विवाह लड़कियों के सम्मानजनक जीवन जीने के मौलिक अधिकारों और स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- बाल विवाह लड़कियों को हिंसा और शोषण के उच्च जोखिम में डालता है।
- बेटी हो या बेटा, पहले उन्हें शिक्षा दिलायें फिर उनकी शादी की योजना बनायें।
- लड़के और लड़कियों सभी का शिक्षा पर समान अधिकार है।
- शिक्षित, सशक्त और कुशल लड़कियां और लड़के एक समृद्ध विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- बाल विवाह लड़कियों और लड़कों से उनका बचपन छीन लेता है, उन्हें अपना भविश्य खुद तय करने के अवसर से वंचित कर देता है और उनके स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा बन जाता है। इसके बच्चों, परिवारों और समुदायों के लिये अंतर–पीढ़ीगत परिणाम हो सकते हैं।
- बेटियों और बेटों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास से स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण होगा।
- जब हम बालिकाओं को बोझ के रूप में नहीं देखते, बेटियां पराया धन नहीं है; शादी करने के लिये और किसी के घर जाने के लिये प्रेरित नहीं करते और न की एक दायित्व के रूप में देखते हैं, जिसके लिये हमें दहेज इकट्ठा करना है, कोई नहीं ले सकता अपने वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और अपने माता–पिता का अंतिम संस्कार करने आदि सभी भ्रांतियों को चुनौती देने और इन सभी बेड़ियों से मुक्त होने में हम सक्षम हैं।
- लाखों किशोर लड़कियों और लड़कों को बेहतर जीवन का अवसर देने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए बाल विवाह को समाप्त करना आवश्यक है।

बाल विवाह पर शास्त्रीय संदर्भ

हिंदू धर्म

आ धेनवो धुनयन्तामशिश्वीः सबर्दुघाः शशया अप्रदुग्धाः।
नव्यानव्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्।।

— ऋग्वेद 3.55.16

अर्थातः जो ब्रह्मचारिणी युवावस्था में हैं और जिन्होंने बाल्यावस्था में ही समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, वे योग्य लड़के से विवाह कर सुख भोगती हैं और सभी को प्रसन्न रखती हैं।

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।
अनड्वान्ब्रह्मचर्येणाश्वो घासं जिगीर्षति।।

— अथर्ववेद, ब्रह्मचर्य सूक्त, 11.5.18

अर्थातः ब्रह्मचर्य सूक्त के इस मंत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि लड़कियों को भी विद्याध्ययन का प्रशिक्षण लेना चाहिए और उसके बाद ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए।

व्याख्याः यह सूक्त विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि लड़कियों को लड़कों के समान प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए (वेदवाचस्पति, 2003)।

चित्तिराउपबर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्।
द्यौर्भूमिः कोश आसीद्यदयात्सूर्यापतिम्।।

— अथर्ववेद 14.1.6

अर्थातः जब बालिकाएं बाहरी वस्तुओं की उपेक्षा कर दूरदर्शिता और ज्ञान की शक्ति से एक जीवंत वृत्ति विकसित करती हैं, तो वह आकाश और पृथ्वी में व्याप्त ज्ञान रूपी धन की प्रदाता बन जाती हैं, फिर उसे योग्य व्यक्ति से विवाह करना चाहिए।

व्याख्याः माता–पिता को चाहिए कि वे अपनी पुत्री को बुद्धि और ज्ञान की शक्ति इस प्रकार दें कि जब वह पति के घर जाए तो उत्तम शिक्षा और विद्या का धन अपने साथ ले जाए।

जीवन के चार चरण

सनातन धर्म में जीवन के चार चरणों का उल्लेख किया गया है – ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जाबिल उपनिषद में चारों आश्रमों का पहला व्यवस्थित उल्लेख है (पृष्ठ 587–88)।

1. **ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी)** – जीवन का पहला चरण ब्रह्मचर्य में बिताने से हमें अनुशासन और ज्ञान की प्राप्ति होती है, यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है।

2. **गृहस्थ (गृहस्थ)** – अपने जीवन के अगले चरण में हम धन अर्जित करते हैं और पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं।

3. **वानप्रस्थ (वनवासी)** – जीवन के तीसरे चरण में हम पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर भगवान की सेवा और भक्ति में लीन रहते हैं।

4. **सन्यास (त्यागना)** – जीवन के अंतिम चरण में, हम मुक्ति के लिए साधना करते हैं, एक त्यागी या सन्यासी जैसा जीवन जीते हुये ईश्वर प्राप्ति हेतु ध्यान साधना करते है।

व्याख्याः ऐसा माना गया है कि मनुष्य का जीवन इन चार चरणों में समान रूप से विभाजित होता है, जीवन प्रत्याशा के आधार पर इनमें से प्रत्येक आश्रम में जीवन व्यतीत होता है। अर्थात यदि जीवन प्रत्याशा 100 वर्ष मानी जाती है तो विद्यार्थी के रूप में 25 वर्ष, गृहस्थ में 25–50 वर्ष, वानप्रस्थ में 50–75 वर्ष और सन्यास में 75 वर्ष अधिक माना गया है।

वैदिक काल में स्वयंवर संस्कृति भी व्याप्त थी जहां पर लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था।

वैदिक काल में स्वयंवर संस्कृति का उल्लेख मिलता है जो महिलाओं को अपनी पसंद का वर चुनने के लिए अधिकार प्रदान करता है। संस्कृत में 'स्वयं' का अर्थ है 'स्व' और' 'वर' का अर्थ है 'चुना' अर्थात चुना हुआ वर' से है।

रामायण में सीता जी और भगवान श्री राम का स्वयंवर हुआ था, जिसमें सीताजी ने एक परीक्षा आयोजित करके अपने लिए जो सही और उचित वर समझा उसका चयन किया था। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि सनातन धर्म में लड़कियों को अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार था।

सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का विवाह भी हुआ था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 25 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान था।

श्रीमती सावित्री बाई फुले /महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले (11 अप्रैल 1827 – 28 नवम्बर 1890)

एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रान्तिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।

सितम्बर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। समाज के सभी वर्गो को शिक्षा प्रदान करने के वे प्रबल समथर्क थे। उनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना तथा उन्होंने बाल विवाह का प्रबल विरोध किया।

उनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना था तथा उन्होंने बाल विवाह का भी पुरजोर विरोध किया। फुले समाज को कुरीतियों और अंधविश्वास के जाल से मुक्त करना चाहते थे। साथ ही वे महिलाओं को लैंगिक भेदभाव से भी बचाना चाहते थे इसलिये उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था।

फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा के जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। फुले महिलाओं को स्त्री–पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत में पहली पाठशाला पुणे में खोली। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे, इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। तत्पश्चात सावित्रीबाई ने महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और जीवनपर्यन्त इसे करती रही। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थीं (एनसीइआरटी, 2008) जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिये अभुतपूर्व वरदान दिया।

सिख धर्म

राहतनामा एक ग्रंथ है जिसमें सिख धर्म की विस्तृत आचार संहिता का उल्लेख है। समय–समय पर विभिन्न सिखों द्वारा कई राहतनामा लिखे गए हैं। प्रेम सुमार्ग उनमें से एक है, जिसे 1953 में रणधीर सिंह द्वारा संपादित किया गया था जिसका चौथा अध्याय, विवाह (संजोग) पर है। यह इस सिफारिश के साथ शुरू होता है कि लड़की का विवाह उपयुक्त उम्र में किया जाना चाहिए। लड़का या लड़की के कम उम्र में होने वाले विवाह पर रोक लगा दी जानी चाहिए। सिख धर्म विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित करता है, लेकिन ऐसी विधवाओं के दोबारा विवाह की स्वीकृति नहीं देता है, जिनके साथ बच्चे हैं। इसके अलावा, अध्याय के नौवें खंड में कहा गया है कि लड़की और लड़के दोनों को बड़े होने (जवान) पर शादी कर लेनी चाहिए। सिख धर्म कम उम्र में शादी को स्वीकृति नहीं देता है (सिंह, 1956)।

महिलाओं और लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण

भाई गुरदास जी, गुरु अर्जन साहिब के दरबार के विद्वान थे। गुरु अर्जन साहिब ने अपने ''वार'' को गुरु ग्रंथ साहिब की 'कुंजी' कहा। अपने एक ''वार'' में उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को परिवार पर बोझ समझने वाले सामान्य सामाजिक रवैये को उलट दिया है, और एक आदर्शवादी तस्वीर प्रस्तुत की है (कौर, 2017)।

ਪੇਵਕੜੈ ਘਰਿ ਲਾਡੁਲੀ ਮਾਊ ਪੀਊ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ।

पेवकड़ै घरि लाडुली माऊ पीऊ खरी पिआरी।

अर्थातः अपने मायके में लड़की को माता–पिता का दुलार और प्यार मिलता है।

ਵਿਚਿ ਭਿਰਾਵਾਂ ਭੈਨੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸਪਰਵਾਰੀ।

विचि भिरावां भैनड़ी नानक दादक सपरवारी।

अर्थातः वह भाइयों में एक बहन है, और वह अपने नाना–नानी के साथ खुशी से रहती है।

ਲਖ ਖਰਚ ਵਿਆਹੀਐ ਗਹਣੇ ਦਾਜੁ ਸਾਜੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ।

लख खरच विआहीऐ गहणे दाजु साजु अति भारी।

अर्थातः लड़कियों को उनके ससुराल में, सुधारक के रूप में मनाया और स्वीकार किया जाता है।

ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਰਿ ਮੰਨੀਐ ਸਣਖਤੀ ਪਰਵਾਰ ਸਧਾਰੀ।

साहुरड़ै घरि मंनीऐ सणखती परवार सधारी।

अर्थातः लड़कियों के ससुराल में उत्सव मनाया जाता है तथा उन्हें सुधारक के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ਸੁਖ ਮਾਣੈ ਪਰਿ ਸੇਜੜੀ ਛਤੀਹ ਭੋਜਨ ਸਦਾ ਸੀਗਾਰੀ।

सुख मनाई पिरु सज्जरी छतीह भोजन सदा सीगारी।

अर्थातः वह जीवन का आनंद लेती है। वैवाहिक संबंध, स्वादिष्ट भोजन और एक अच्छी जीवन शैली की अधिकारी है।

ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਣੁ ਗਿਆਨ ਵਿਚਿ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ।

लोक वेद गुणु गिआन विचि अरध सरीरी मोख दुआरी।

अर्थातः लौकिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आधी आबादी अर्थात महिलाएं, स्वतंत्रता की अधिकारी हैं।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲ ਨਿਹਚਉ ਨਾਰੀ ॥੧੬॥

गुरमुखि सुख फल निहचउ नारी ।। 16।।

अर्थातः अनंत ज्ञान के माध्यम से, गुणी महिलाएं निश्चित रूप से खुशी लाती हैं।

वार 5, पौवरी 16
भाई गुरदास

बौद्ध धर्म

प्राचीन बौद्धों ने 16 साल की उम्र को एक उपयुक्त विवाह योग्य उम्र माना था, जब एक लड़की का पहला मासिक धर्म शुरू होता है (पट्ट सोसा वासा काले, पट्टवया, जा. आई, 421)।

विवाह योग्य लड़का और लड़की दोनों के लिए एक ही उम्र (जोडे की समान आयु) होना श्रेष्ठ माना जाता था, हालांकि काम सूत्र (चौथी शताब्दी सीई) में उल्लेख है कि दुल्हन को दूल्हे से तीन साल छोटा होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने वृद्ध पुरुषों के लिए अपने से कम उम्र की महिलाओं से विवाह करना अनुचित और अव्यवहारिक बताया है (एसएन.110)।

भगवान बुद्ध ने धम्म को दुनिया के लिए करुणा का माध्यम बताया। माता–पिता को अपने बच्चों का व्यवस्थित पालन करने और बच्चों को बोझ के रूप में न समझने हेतु 'मन की चार उदात्त अवस्थाओं' का अभ्यास करने की शिक्षा दी है।

- मेटा – प्रेमपूर्ण दया या सद्भावना
- करुणा – करुणा
- मुदिता – सहानुभूतिपूर्ण आनंद
- उपेक्षा – समचित्तता

'इन चार अवस्थाओं का अच्छी तरह से अभ्यास करने से माता–पिता अपने बच्चों का पालन–पोषण शांत भाव से कर सकते हैं।'

यही प्रत्येक जीवों के प्रति व्यवहार का सही और आदर्श तरीका है। मन के ये चार दृष्टिकोण सामाजिक संपर्क से उत्पन्न होने वाली सभी स्थितियों के लिए एक सहज मार्ग प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से तनाव को दूर किया जा सकता है और सामाजिक संघर्ष के समय भी शांतिदूत बनकर रहा जा सकता हैं। ये सूत्र अपने अस्तित्व के संघर्ष के समय लगे घावों को दूर करने के लिये मरहम का काम करते हैं, ये सामाजिक बाधाओं को दूर करने वाले हैं, ये सामंजस्यपूर्ण समुदायों के निर्माता के रूप में कार्य करते हैं, इससे हृदय में विशालता जाग्रत होती है, आनंद और आशा के साथ ही व्यक्तित्व पुनरुत्थानकर्ता के रूप में कार्य करता है, अहंकार समाप्त हो जाता है और भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है (धम्मानंद, 2015, सीएच4)।

बौद्ध धर्म के अनुसार विवाह कोई सामाजिक, धार्मिक बाध्यता, संतानोत्पत्ति का साधन या प्रेम की रूमानी धारणा नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए साझेदार बनने का एक विकल्प है, इसे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने और मुक्ति प्राप्त करने का साधन भी माना गया है, यह जीवन को समृद्ध बनाने की एक विद्या भी है। अगर दोनों (लड़का और लड़की) का विचार है कि शादी उन्हें खुशी देगी और उनके लिये ज्ञान के मार्ग खोलेगी तो वे यह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

बाल विवाह करने से यह समस्या भी उत्पन्न होती है कि युवा दुल्हन को अपनी शिक्षा पूर्ण कर परिपक्व होने और अपनी पूरी क्षमता विकसित करने का मौका नहीं मिल पाता है, बाल विवाह लड़कियों की सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। बौद्ध परंपरा में बाल विवाह को स्वीकार नहीं किया गया है।

जैन धर्म

महिलाओं को शिक्षित करने का महत्व

पहले तीर्थंकर, भगवान ऋषभदेव ने कहा, 'जब आप शिक्षा के साथ खुद को सुशोभित करेंगे तो आपका जीवन फलदायी होगा क्योंकि जिस तरह एक विद्व ान व्यक्ति को शिक्षित व्यक्तियों द्वारा उच्च सम्मान प्राप्त होता है, उसी तरह एक विद्वान महिला भी महिला जगत में सर्वोच्च स्थान रखती है (सांगवे, 2023)। 'भारत में जैन परंपरा अपने उदय के समय से ही परिवार, मंदिर, स्कूल और राज्य स्तर पर महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए शक्तिशाली संगठन के रूप में कार्यरत रही।

जैन महिलाओं ने पुरुषों के साथ शिक्षा की गति को बनाए रखा और साहित्य की रचना में मौलिक और सम्मानित योगदान भी दिया। पुरुषों के साथ–साथ जैन महिलाओं को भी कन्नड़ साहित्य से जोड़ा जाता है। उस समय 'अव्वैयारा जैन महिला' सबसे बड़ा क्रांतिकारी नाम है जो अभिनव पम्पा के साथ, होयसल राजा बल्लाला प्रथम (1100–1106 ई.) के दरबार में थी। वह एक प्रभावशाली वक्ता और कवियित्री थीं, जिन्होंने राजा बल्लाला प्रथम के खुले दरबार में अभिनव पम्पा की अधूरी कविताओं को पूरा किया। इसी तरह, अव्वैयारा नाम की एक जैन महिला, 'आदरणीय मैट्रन', वह तमिल कवियों में सबसे अधिक प्रशंसित थीं (सांगवे, 2023)।

जैन परंपरा में कौशांबी के राजा सहस्रनिक की बेटी जयंती को विशेष रूप से याद किया जाता है जिन्होंने धर्म और दर्शन को अपना जीवन समर्पित करने के उद्देश्य से कभी विवाह नहीं किया। जब तीर्थंकर महावीर (24वें तीर्थंकर) पहली बार कौशाम्बी आए, तो जयंती ने उनसे अनेक आध्यात्मिक विषयों पर गहराई से चर्चा की और अंततः वह एक नन बन गयी। यह प्रसंग उन ऊंचाइयों को प्रदर्शित करता है जब उन्होंने अपनी शिक्षा के प्रति लगन और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र और अविवाहित रहना स्वीकार किया।

ऐसी जानकारी मिलती है कि 300 ईसा पूर्व के बाद बाल विवाह का चलन अधिक होने लगा, जिसके बाद ही भारत में महिलाओं की शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जैन विधि–निर्माता बाल–विवाह के पक्षधर नहीं थे इसीलिए विवाह के स्वयंवर रूप (जहां एक महिला अपने पति को संभावित विवाहकर्ताओं में से चुनती है) को विवाह का प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ रूप माना गया (सांगवे, 2023)।

निष्कर्ष

हमें उम्मीद है कि यह टूलकिट जनसमुदाय के लिए एक उपयोगी और प्रभावी संदेश प्रदान करने वाली संदर्भ मार्गदर्शिका सिद्ध होगी। साथ ही धर्मगुरू, धर्म व आस्था–आधारित संगठनों और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों को सशक्त बनाने के लिये विशेष भूमिका निभायेगी ताकि समाज में व्याप्त लैंगिक असमानताओं को दूर कर लिंग आधारित हिंसा व बाल विवाह के प्रति सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

यह टूलकिट न केवल लिंग से संबंधित कारकों का पता लगाने का प्रयास करता है बल्कि भारत में प्रचलित असमानता, लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह, तथा महिलाओं एवं लड़कियों व उनके परिवारों पर असमानताओं के कारण पड़ने वाले नकारात्मक परिणामों को भी उजागर करता है। समग्र रूप में परिवार, समुदाय और राष्ट्र की स्थिति को उजागर करते हुये इसमें शास्त्र संबंधी संदर्भ भी साझा किये गये हैं।

धर्म व आस्था आधारित संदेश इन असमानताओं को दूर कर सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं ताकि लिंग संतुलित सकारात्मक समाज का निर्माण किया जा सके। हमारा मानना है कि भारत के लिए वैश्विक विकास नेता के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए और अधिक स्थानीय, राष्ट्रीय स्तर पर तथा समाज के सभी क्षेत्रों में विकास हेतु कठोर प्रयासों की आवश्यकता है।

सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी व स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना होगा। महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय के चक्र को तोड़ने के लिए आपसी सहयोग और कार्रवाई की आवश्यकता है परन्तु इसके लिये हमें धर्मगुरूओं तक ही सीमित नहीं रहना है बल्कि उनके माध्यम से धर्म–आधारित संगठनों, राजनीतिक नेताओं, कॉर्पोरेट नेताओं, शिक्षक, स्वास्थ्य सेवा कर्ताओं, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को भी जोड़ना होगा। लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए तथा महिलाओं और लड़कियों के मूल्य में वृद्धि करने के लिये प्राधिकरण, विधायिका, न्यायपालिका और जनसंचार माध्यमों को सशक्त करना होगा।

इसी भावना से, हम आशा करते हैं कि यह टूलकिट धर्मगुरूओं और धार्मिक संगठनों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इस महत्वपूर्ण संदेश को जनसमुदाय के साथ साझा करने और अपनी सुविधा के लिए टूलकिट का उपयोग कर बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन, स्वस्थ संवाद विकसित कर, एक दूसरे से बातचीत शुरू करना होगा। लैंगिक समानता लाने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए इसका उपयोग कर लिंग संतुलित समाज का निर्माण किया जा सकता है।

संदर्भ

1. Ācāriya Buddharakkhita. (2022). *Minor Collection, Dhammapada: the Buddha's path of wisdom – Violence.* Available from: https://suttacentral.net/dhp129-145/en/buddharakkhita?reference=none&highlight=false [accessed 28/12/2022]

2. Accesstoinsight. (2005). The Five Precepts. Available from: https://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sila/pancasila.html [accessed on 15/12/2022]

3. Amruta, P. (2023). *Panchsheel of Buddha - Buddhism - Ancient India History Notes, Prepp.* Available on: https://prepp.in/news/e-492-panchsheel-of-buddha-buddhism-ancient-india-history-notes [accessed 16/01/23]

4. *Atharvaveda* 12.2.32 II Brahmacharya Sukta, 11.5.18 II Atharvaveda 14.1.6 II

5. Balbir, N. (2023). *Women in the Jain Tradition.* Jainpedia. Available from: https://jainpedia.org/themes/people/women-in-the-jain-tradition/, [accessed on 2/1/23]

6. Barvalia, G. (2012). *Agama - An Introduction* (p. 10). Mumbai: Global Jain Aagam Mission.

7. *Bhagavad Gita,* 13.28

8. *Bhagavati Aradhana,* 797

9. Bhante Sujato. (2016). *Story of a nun's encounter with a māra.* Sutta central. Available from: https://discourse.suttacentral.net/t/story-of-a-nuns-encounter-with-a-mara/3495/4, [accessed 28/12/2022]

10. Bhasin, Kamla. (2003). Understanding Gender. New Delhi: Women Unlimited.

11. Bhikkhu Bodhi. (2000). *The Teachings of the Buddha: the connected discourses of the Buddha,* a new translation of Samyutta Nikaya Vol I: p. 222. Boston: Wisdom Publication.

12. Chinchore, M. (2005). *Conception of Ahimsa in Buddhism:* A Critical Note. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute 85 (1): 103-109.

13. Chowdhury, S. (2021). *History of Women Education in India,* Vol. 3 (1). Lokogandhar.

14. D'Elena, G. (2016). *The Gender Problem of Buddhist Nationalism in Myanmar: The 969 Movement and Theravada Nuns,* FIU. Available from: https://digitalcommons.fiu.edu/etd/2463/ [accessed on 20/12/22]

15. Deccan Herald. (2022). 'Padma Shri' Acharya Chandna: Jain sadhvi who walks non-conformist path towards spirituality, *Telephonic interview with Press Trust of India from Rajgiri in Bihar.* Available from: https://www.deccanherald.com/national/padma-shri-acharya-chandna-jain-sadhvi-who-walks-non-conformist-path-towards-spirituality-1075941.html [accessed on 1/1/23]

16. Dhammananda. (2005). *A Happy Married Life - A Buddhist Perspective,* Accesstoinsight. Available from: https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammananda/marriage.html#ch4 [accessed on 20/12/2022]

17. *Dhammapada*
(Chapter 10 verse 129 & 130, 133-134) (Chapter 17 Verse 221-234)

18. Dwitiya Prakash Chapter-2, Gatha-20

19. Edirisinghe, A. (2014). *Buddhist Perspective on Prevention of Gender Based Violence, Buddhism for Sustainable Development and Social Change.* Available from: http://www.icdv.net/2014paper/ws1_21_en_Buddhist_Perspective_on_Prevention_of_289540687.pdf [accessed on 15/11/22]

20. Ghosh, I. (1989). Ahimsa: Buddhist and Gandhian. Delhi: Balaji Enterprises.

21. Ghosh, P. (2021). The Different Stages of One's Life in Indian Ashram and its Significance. Available from: https://eastsidewriters.com/the-different-stages-of-ones-life-in-indian-ashram-and-its-significance/ [accessed on 10/12/22]

22.Gill, M. (1995). *The Role and Status of Women in Sikhism.* New Delhi: National Bookshop.

23.Goldentempleheavenonearth.(2015). Status of Women in Sikh Religion. Available from: https://goldentempleheavenonearth.wordpress.com/2015/07/18/so-kyon-manda-akhiye-jit-jamein-rajan/ [accessed on 13/11/2022]

24.Guru Ram Das. *Guru Granth Sahib* - Ang 79.

25.Hold, J. (2019). *Beyond the Big Six Religions: Expanding the Boundaries in the Teaching of Religion and Worldviews,* p. 245. University of Chester Press. Available from: https://puredhamma.net/bhavana-meditation/karaniya-metta-sutta-metta-bhavana/, [accessed on 20/12/22]

26.Jacobi, H. (1884). Jaina Sutras Part I: Sacred Books of the East, Sacred-texts. Available from: https://www.sacred-texts.com/jai/sbe22/index.htm [accessed on 20/12/22]

27.Jainworld. (2022). *Significance of Jainism.* Available from: https://jainworld.com/library/jain-books/books-on-line/jainworld-books-in-indian-languages/antiquity-of-jainism/significance-of-jainism/ [accessed on 23/12/22]

28.Kaur, I. (2019). "A 'Kaur' Demands Gender Equality Given By Her Gurus." *Feminism India.* Available from: https://feminisminindia.com/2019/11/13/kaur-demands-gender-equality-gurus/?amp [accessed on 11/11/22]

29.Kaur, J. (2017). "5 Sikh Women In History You Should Know About." *Feminism India.* available from https://feminisminindia.com/2017/07/12/5-sikh-women-know/ [accessed on 7/11/2022]

30.Kaur, L. (2022). "Women's Empowerment in Sikhism." *Sikhnet.* Available from: https://www.sikhnet.com/news/womens-empowerment-sikhi [accessed on 28/12/22]

31. Kaur, U. (2023). "The Role and Status of Women in Sikhism." *Allaboutsikhs.* Available from: https://www.allaboutsikhs.com/sikh-literature/sikhism-articles/role-and-status-of-women-in-sikhism/ [accessed on 22/12/2022]

32.Kaur, V. (2022). "Equality of Women." *Sikhwiki.* Available from: https://www.sikhiwiki.org/index.php/Equality_of_women [accessed on 11/11/22]

33.Kumar, S. (2022). "Lord Mahavir Quotes." *Natkhatduniya.* Available from: http://natkhatduniya.in/lord-mahavir-quotes/ [accessed on 10/12/22]

34.Law, B. (1926). "Marriage in the Buddhist Tradition." *Indian Historical Quarterly* 2. Available at: lirs.ru/lib/sutra/Connected_Discourses_of_the_Buddha(Samyutta_Nikaya).Vol.I.pdf

35.Mahavir (Sutrakritanga, 1.1.4.10)

36.Maheshwari, K. (2022). "Ahimsa in the Scriptures." *Hindupedia.* Available from: http://www.hindupedia.com/en/Ahimsa_in_Scriptures [accessed on 1/12/22]

37.*Mahopanishad* (Chapter 6, Mantra 71)

38.Manusmriti Shloka 3.56, 3.57

39.Mehrotra, P. (2022). *Her Stories: Indian Women Down the Ages.* New Delhi: Rupa Publications.

40.Mishra, N. (2019). *Drapuadi Antarkatha,* ch. 9: pp. 63-64. New Delhi: *Draupadi* Dream Trust.

41.National Family Health Survey. (2021). National Family Health Survey India Dataset. Available from: http://rchiips.org/nfhs/factsheet_NFHS-5.shtml [accessed on 1/12/22]

42.Olendzki, A. (2010). "Metta in Outer Studies." *Insight Journal.* Available from: https://www.buddhistinquiry.org/article/mett%c4%81-in-other-suttas/ [accessed on 22/12/22]

43.Patta Soëasa Vassa Kàle, Pattavaya, Ja.I,421.

44.Pure Dhamma. (2021). Karaniya *Metta Sutta – Metta Bhavana*.

45.Ratna Prabha. (2023). Karaniya Metta Sutta: The Buddha's words on loving kindness, *Verse 4,5,6,7* and 8. Available from: https://www.spiritrock.org/file/CDL5-retreat2-reading2-metta-sutta.pdf [accessed on 2/1/23]

46.*Rigveda 5.61.6 ll 5.61.7 ll Rigveda 10.191.2 ---4* || Rigveda- 3.55.16 ll

47.Roundtable India. 2022. Five Principles of Panchsheel: Buddha's Teachings. Available from: https://www.roundtableindia.co.in/five-principles-of-panchsheel-buddhas-teachings/ [accessed on 24/12/22]

48.Saṃyukta Nikāya/Samyutta Nikaya 1,5,6.

49.Sangve, V. (2022). Jain Marriage - *Position of Women, Jainsamaj.* Available from: https://www.jainsamaj.org/content.php?url=Marriage_-_Position_of_Woman:- [accessed on 1/1/23]

50.Shah, A. (2018). "Jainism: Parity and the Patriarchy." Jainfoundation. Available from: https://www.jainfoundation.in/JAINLIBRARY/books/jainism_parity_and_patriarchy_034364_data.pdf, [accessed on 10/12/22]

51.Shah, N. (2004). *Jainism: The World of Conquerors - Volume 1.* Motilal Banarsidass.

52.Shiva, L. (2021). "Alcohol Use and Gender Based Violence." *Current Addiction Reports* 8: 71–80. Available from: https://doi.org/10.1007/s40429-021-00354-y

53.Shri Acharang Sutra (Bhag-1. Adyayan-1, Uddeshak-7, Sutra-1) (Bhag-1. Adyayan-4, Uddeshak-2, Sutra-7,8) (Bhag-1. Adyayan-5, Uddeshak-5, Sutra-6) (Bhag-1. Adyayan-1, Uddeshak-2, Sutra-3)

54.Shri Acharang Sutra (Bhag-1. Adyayan-1, Uddeshak-7, Sutra-1), (Bhag-1. Adyayan-197, Uddeshak-1, Sutra-21)

55.Shri Bhagwati Sutra (Shatak-2, Uddeshak- 5, Sutra-28)

56.Sikhwiki. (2021). "52 Hukams of Guru Granth Sahib ji (15-16th Hukkam)." Available from: https://www.sikhiwiki.org/index.php/52_Hukams_of_Guru_Gobind_Singh_ji, [assessed on 12/11/2022]

57.Singh, D. (2022). *Women Emancipation and Empowerment* - A Sikh Perspective. Available from: https://www.sikhnet.com/news/women-emancipation-and-empowerment-sikh-perspective, [accessed on 7/11/2022]

58.Singh, T. (2022). "Tolerance - The Sikh Perspective." Gurbani. Available from: https://www.gurbani.org/articles/webart172.php [accessed on 23/12/22]

59.Soundarya Lahari Verse 1.

60.Speakingtree. (2022). "The story of Amrapali." Available from: https://www.speakingtree.in/allslides/amrapali-was-in-love-with-lord-buddha [accessed on 20/12/22]

61.Sri Guru Granth Sahib - Ang 223, 605, 473, 1020, 1349, 219, 472

62.Sri Suyagadanga Sutra - Ang 2

63.Sri Suyagadanga Sutra - Second Ang

64.Sri Suyagadanga Sutra - Second Ang Sutra

65.Srinivasan, N. (2020). "The Need for Eternal Dharma Based Hinduism." Nrsrini. Available from: http://nrsrini.blogspot.com/2020/09/need-for-eternal-dharma-based-hinduism.html, [accessed on 23/11/22]

66.SRS. (2019). Sex Ratio at Birth. Available from: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1806605 [accessed 20/12/2022]

67.Sundararaman, T. (2008). "Savitribai Phule First Memorial Lecture." New Delhi: NCERT.

68.Trivedi, K. (2002). "Atharvaveda-Hindi Bhashya, Part 2." Delhi, Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, p.no. 654.

69.Truthultimate. (2022). "Ahinsa Parmo Dharma." Available from: https://truthultimate.com/ahinsa-parmo-dharma/ [accessed on 24/12/22]

70.UNESCO Institute for Statistics. (2021). UIS Stat Bulk Data Download Service. Available from https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR.FE?locations=IN [accessed on 24/10/22]

71.UNFPA. (2022). "Ending Child Marriage." Available from: https://india.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ending_child_marriage_india_profile.pdf [accessed on 20/12/22]

72.United Nations. (2022). "Violence against women." Available from: https://www.who.int/health-topics/violence-against-women#tab=tab_1 [accessed on 1/12/22]

73.Uttarādhyayana Sūtra, sutras 21-25.

74.Vedavachaspati, P. (2003). *Mera Dharma.* Gurukul Kangri University.

75.Wikischool. (2022). "Jaina Akaranga Sutra." Available from: https://wikischool.org/book/jaina_akaranga_sutra [accessed on 10/12/22]

76.World Economic Forum. (2022). "Global Gender Gap Report 2022." Available from https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf [accessed on 9/11/2022]

77. *Yajurveda* 17.45 ll

78. *Yogashastra* (first truth of Jainism)

स्वीकृतियां

इस टूलकिट के सफलतापूर्वक पूरा होने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान हैं। आप सभी की भागीदारी और सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता था। हम आपके योगदान हेतु कृतज्ञतापूर्वक आपका धन्यवाद करना चाहते हैं।

सर्वप्रथम हम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, सह–संस्थापक, ग्लोबल इंटरफेथ वॉश एलायंस (जीवा) व अध्यक्ष, परमार्थ निकेतन तथा डॉ. साध्वी भगवती सरस्वती जी, अन्तर्राष्ट्रीय महासचिव, ग्लोबल इंटरफेथ वॉश एलायंस (जीवा), अध्यक्ष, डिवाइन शक्ति फाउंडेशन को उनके अमूल्य मार्गदर्शन और इस पहल के लिए निरंतर आशीर्वाद प्रदान करने हेतु धन्यवाद देना चाहते हैं।

हम सुश्री एंड्रिया वोज्नार, रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनएफपीए इंडिया और भूटान, यूएनएफपीए इंडिया टीम की कंट्री डायरेक्टरय श्रीराम हरिदास, यूएनएफपीए इंडिया के उप प्रतिनिधिय डॉ. नीलेश देशपांडे, राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञ, किशोर और युवा यूएनएफपीए इंडियाय सुश्री अंकिता सिंह, यूएनएफपीए इंडिया की प्रोग्राम एनालिस्टय और साथ ही पूरी यूएनएफपीए टीम को उनके दिव्य समर्थन, मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

हम उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केरल के माननीय राज्यपाल, डॉ. आरिफ मोहम्मद खान साहब के आभारी हैं, जिन्होंने इस टूलकिट हेतु अपनी समीक्षा, अंतर्दृष्टि के साथ इसकी अवधारणा से नारी संसद की पहल की सराहना की जो कि अक्टूबर, 2022 को परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश में आयोजित हुई थी। हम उनके योगदान के लिए आभारी हैं।

हम विशेष रूप से सभी पूज्य धर्मगुरूओं, संस्थानों और विभूतियों को उनके समर्थन, अंतर्दृष्टि, सहयोग, टिप्पणियों और अद्भुत सुझावों के साथ टूलकिट में सुधार करने तथा अपने अनुभवों को साझा कर इसे सशक्त और अत्यधिक उपयोगी बनाने हेतु आभार व्यक्त करते हैं।

- पूज्य श्री रमेशभाई ओझाजी 'भाईश्रीजी' प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता, प्रख्यात कथाकार, संस्थापक, सांदीपनी विद्यानिकेतन।
- राजयोगिनी बीके सपना दीदी जी, ब्रह्मा कुमारियों की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका।
- ज्ञानी रणजीत सिंह जी, प्रमुख ग्रंथी (पुजारी), गुरुद्वारा बंगला साहिब, नई दिल्ली, भारत।

- देवी चित्रलेखाजी, प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता, प्रख्यात कथाकार, संस्थापक गौ सेवा धाम (जीएसडी) अस्पताल।
- पूज्य संत मुरलीधर जी, प्रख्यात मानस कथाकार और गुरुमाँ श्रीमती मीना मुरलीधर जी।
- डॉ चिन्मय पंड्याजी, प्रो वाइस चांसलर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
- पूज्य गुरुदेव श्री राकेशभाईजी, संस्थापक, श्रीमद् राजचंद्र मिशन, धरमपुर।
- पूज्य विवेक मुनिजी, परम पूज्य आचार्य श्री सुशील कुमारजी महाराज के शिष्य।
- वेन भिक्खु संघसेनाजी, संस्थापक, महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र, लद्दाख।
- पूज्य सुशील गोस्वामी जी महाराज, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय सर्व धर्म संसद।
- सरदार परमजीत सिंह चंडोक जी, अध्यक्ष, गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली।
- धर्माचार्य शांतम सेठ, जेन परंपरा में एक नियुक्त धर्माचार्य, मास्टर थिच नट हान और माइंडफुलनेस शिक्षक।
- राजयोगिनी बीके डॉ बिन्नी सरीन जी, शांति दूत और आध्यात्मिक गुरू, राजयोग विशेषज्ञ, माउंट आबू।
- सुश्री गीता कठपालिया आहूजा जी, सचिव, अखिल धर्म संसद भारत।
- वेन खेनपो रंगडोल, उपाध्यक्ष, दून बुद्धिस्ट एसोसिएशन, देहरादून।
- सरदार पियारा सिंह जी, गुरमत संगीत बाल विद्यालय, ऋषिकेश।
- सरदार ज्ञानी गुरमेल सिंह जी, कथाकार, गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब, ऋषिकेश।
- सरदार गुरबचन सिंह जी, गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब, ऋषिकेश।
- कल्पेश और शैलेश सोलंकी, गौरवी गुजरात और ईस्टर्न आई।
- श्री अखिलेश मिश्रा जी, जिला परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार।
- श्रीमती नीरा मिश्रा जी, अध्यक्ष–द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट, लेखक, विजिटिंग प्रो एवं सार्वजनिक वक्ता।
- श्रीमती त्रिवेणी आचार्य जी, संस्थापक रेस्क्यू फाउंडेशन।

इस दस्तावेज की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञों और विद्वानों के प्रति भी हम अत्यंत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया और अंतर्दृष्टि प्रदान कर इसे उत्कृष्ट बनाया। विशेष रूप से:

- डॉ रवींद्र पंथ, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, नई दिल्ली।
- डॉ. बिमलेंद्र कुमार, प्रोफेसर, पाली और बौद्ध अध्ययन विभाग, कला संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।

- डॉ. नीरजा ए. गुप्ता, वाइस चांसलर, सांची यूनिवर्सिटी फॉर बुद्धिस्ट–इंडिक स्टडीज।
- डॉ कंचन चंदन मेहरा, प्रोफेसर, लिंग अध्ययन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय।
- श्रीमद् राजचंद्र मिशन की पूरी टीम।
- सौरजीत घोष, पीएचडी स्कॉलर (ग्लोबल पीएचडी प्रोग्राम), एसबीएसपीसीआर, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2020–2023।

अंत में, हम जीवा टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस टूलकिट को तैयार करने हेतु अथक प्रयास किया सुश्री गंगा नंदिनी, परियोजना कार्यान्वयन निदेशक, ग्लोबल इंटरफेथ वॉश एलायंस, डॉ प्रिया परमार, सुखनूर कौर ओबेरॉय, रोहन मैकलेरन और कई अन्य जिनके अथक प्रयासों से इस टूलकिट को तैयार किया गया।

यह टूलकिट सम्पूर्ण नहीं है, लेकिन एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की नींव रखने, हमारे समाज में लैंगिक समानता लाने व लैंगिक संतुलित स्थापित करने हेतु संदेश भेजने के लिए धर्मगुरूओं का समर्थन करती है। हमने इस टूलकिट को संवाद की सुविधा के लिए और इन प्रमुख विषयों के आसपास कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया है और इसलिए हम सभी के फीडबैक, विचारों, सुझावों का स्वागत करते हैं और उन्हें info@washalliance.org पर ईमेल द्वारा हमारे साथ साझा करने के लिए आग्रह करते हैं।

@divineshaktifdn

@divineshaktifoundation

www.divineshaktifoundation.org

@wash_alliance

@washalliance

www.washalliance.org

Global Interfaith Wash Alliance

Design and compilation by
New Concept Information Systems Pvt. Ltd